

समाजवादी
वचन पत्र



सत्य वचन • अटूट वादा

सेवा में निहित ... सर्व समाज का हित

ताकि हक़ से आगे बढ़ सके हर कमज़ोर, ग़रीब
दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित

इसी सेवाभाव के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपना वचन पत्र रख रहे हैं। आज जनता को समर्पित ये हर एक वचन, कल उत्तर प्रदेश के विकास में परवर्तित होगा। वचन निभाना हमारी परिपाटी है, इसी लीक को लेकर आगे बढ़ेंगे, 2022 में फिर एक नया हस्ताक्षर होगा जो उत्तर प्रदेश के विकास के एक नए अध्याय की भूमिका लिखेगा।



आपका,

मुलायम सिंह यादव

घोषणापत्र सूची

1)	कृषि एवं ग्रामीण विकास	04
2)	युवा एवं रोजगार	13
3)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	18
4)	शिक्षा	22
5)	सामाजिक न्याय	28
6)	महिला सशक्तिकरण	34
7)	श्रमिक सशक्तिकरण	40
8)	कानून व्यवस्था	44
9)	पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर	48
10)	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग	50
11)	शहरी विकास	55
12)	उद्योग	59
13)	समाजवादी डिजिटल पॉलिसी	61
14)	व्यापार और वाणिज्य	65
15)	जल एवं पर्यावरण	66
16)	पर्यटन	70
17)	अल्पसंख्यक कल्याण	73
18)	गवर्नेंस	75
19)	अधिवक्ता एवं सैन्यकर्मों	77
20)	मीडिया	78
21)	समाजवादी विचारधारा	80
22)	2012-17 के दौरान समाजवादी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां	82



कृषि और ग्रामीण विकास



समाजवादी पार्टी सरकार कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक समर्पित बजट पेश करेगी।

लाभप्रद स्थाई मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य

दूध समेत सभी फसलों के लिए एमएसपी

- उत्तर प्रदेश में **'सभी फसलों के लिए एमएसपी'** की गणना स्वामीनाथन फार्मूला सी2 + 50% के अनुसार की जाएगी। एमएसपी को राज्य सरकार के हस्तक्षेप के ज़रिए **'मूल्य स्थापित करने वाली व्यवस्था'** के रूप विकसित किया जाएगा ताकि कोई भी सार्वजनिक या निजी व्यक्ति/संस्था किसानों से एमएसपी के नीचे उनकी फसल को खरीद नहीं पाएगा। कुछ अधिसूचित फसलों जैसे आलू के मामले में राज्य सरकार द्वारा **'मूल्य क्षतिपूर्ति तंत्र'** भी विकसित किया जाएगा।

ग्रामीण विकास

रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एण्ड क्रेडिट

- 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा'** निवेश के लिए प्राथमिकताओं वाला सेक्टर होगा। वर्तमान बजट का तीन गुना या उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट का न्यूनतम 15% राशि यानि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया जाएगा।

'यूपी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड'

- इस फंड से कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा निर्धारित होगी।



फार्मर/रूरल माइक्रो फाइनेंस बैंक

- किसान/ग्रामीण सूक्ष्म वित्त बैंक बनाया जाएगा ताकि भूमिहीन किसानों/छोटे किसानों और ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों को आसान और बिना कुछ गिरवी रखे लोन मिल सके। ऋण देने में बैंकों के विश्वास में सुधार के लिए बैंक के पास क्रेडिट गारंटी फंड भी होगा।

वेयरहाउस रसीद प्रणाली

- व्यापार योग्य और बैंक योग्य गोदाम रसीद प्रणाली लागू की जाएगी ताकि किसानों को अपनी फसल को मजबूरी में ना बेचना पड़े।

एग्रीकल्चर डेब्ट रिलीफ एक्ट

- प्रभावी और व्यापक कृषि ऋण राहत अधिनियम बनेगा ताकि किसानों को बार-बार ऋण माफी का सहारा न लेना पड़े।
- इस अधिनियम के तहत एक '**किसान आयोग**' की स्थापना की जाएगी। यह आयोग प्रत्येक मौसम में '**संकटग्रस्त क्षेत्रों**' और '**संकटग्रस्त फसलों**' की पहचान करेगा और प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ठोस उपाय जैसे कि ऋण से राहत जैसी व्यवस्था की सिफारिश करेगा।
- यह न केवल बैंक ऋण बल्कि निजी ऋणों तक भी विस्तारित होगा।
- किसानों को राहत पहुंचाने हेतु 0% ब्याज के साथ ऋणों का पुनर्निर्धारण, ब्याज पर प्रतिबंध, संकटग्रस्त स्थिति में आंशिक या पूर्ण लोन माफी जैसे विकल्प शामिल होंगे।
- इस अधिनियम के तहत सभी वास्तविक किसानों को संस्थागत ऋण की गारंटी दी जाएगी।
- व्यापक स्तर पर लोन-स्वैप स्कीम को लागू किया जाएगा जिससे प्राइवेट लोन को बैंक लोन में बदला जाएगा।
- इस अधिनियम के तहत किसानों को सूक्ष्म उद्यमी का दर्जा दिया जाएगा। इसमें किसानों पर न्यूनतम देनदारी होगी और वो दिवालिया संरक्षण का भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- '**इस किसान आयोग के गठन के जरिये उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को चार साल यानि 2025 तक कर्ज मुक्त करने का हमारा लक्ष्य है।**'



कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी)

- 'किसान बाजार नेटवर्क' का विस्तार किया जाएगा ताकि हमारे पास 'प्रत्येक 10 किमी' के भीतर एक बाजार हो।
- उच्च प्रौद्योगिकी आधारित ग्रेडिंग, नमी मापन और वजन प्रणाली में निवेश करके 'एपीएमसी' को मजबूत किया जाएगा।
- गोदाम रसीद योजना के साथ मंडियों में पर्याप्त भण्डारण सुविधाएं/कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे ताकि किसानों को जब तक उनकी फसल का उचित मूल्य न मिल जाए उन्हें कम दाम पर बेचने की मजबूरी न हो।
- सभी मंडियों के पास 'केंद्रीय सुविधा केंद्र' स्थापित किया जाएगा।
- सभी जिलों में 'किसान बाजार' स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकें।
- हर जिले में '20 किसान सहयोग समूह (एफपीओ)' बनाया जाएगा यानि पूरे राज्य में लगभग 1500 का लक्ष्य।
- यह व्यवस्था किसानों को 'इकॉनमी ऑफ स्केल' मुहैया कराएगी। यह किसानों को उनकी फसल को बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प और मोल-भाव के अवसर भी उपलब्ध कराएगी।
- 'फॉर्म कोऑपरेटिव्स' की समीक्षा कर उसे सशक्त बनाया जाएगा। इन्हें राजनैतिक हस्तक्षेप एवं भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा, भंडारण, कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग और निर्यात

- पीपीपी मॉडल के तहत 'वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर' को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- सभी मंडलों में स्थानीय फसलों के लिए विशिष्ट 'फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर' स्थापित किये जायेंगे।
- उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख कृषि-जलवायु क्षेत्रों में 'निर्यात उन्मुख फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर' स्थापित किए जाएंगे।



- सहकारी समितियों की संरचना को मजबूत किया जाएगा ताकि गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता उचित मूल्य पर किसानों को मिल सके।
- **कन्नौज** में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के साथ **'आलू निर्यात क्षेत्र'** स्थापित किया जाएगा।
- पूरे राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए **'साइकिल हाईवे मॉडल'** को अपनाया जाएगा।
- **'सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।'**
- **ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी।**
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कोल्ड स्टोरेज/ कोल्ड चेन/ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बिजली दरों को युक्तिसंगत किया जाएगा।
- **'एग्रीकल्चर वेस्ट और सॉलिड वेस्ट'** से ग्रामीण क्लस्टर में बिजली उत्पादन युनिट्स स्थापित की जाएगी इससे किसान पराली जलाने से बचेंगे साथ ही वायु प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा। उत्पन्न बिजली उस विशेष क्लस्टर के निवासियों को मुफ्त में दिया जाएगा।

स्मार्ट विलेज क्लस्टर

- **'स्मार्ट विलेज क्लस्टर'** पूरे राज्य में स्थापित किए जाएंगे जो **'स्मार्ट विलेज क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी'** के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे।
- **ये क्लस्टर बड़े पैमाने पर डेटा मैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा अनुमानों पर आधारित होंगे। प्रत्येक क्लस्टर में स्थानीय और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी आधारित निम्नलिखित समाधान शामिल हैं।**
 - ☞ **इंफ्रास्ट्रक्चर- सड़क, वेस्ट मैनेजमेंट, वैकल्पिक विद्युत ग्रिड, ग्रीन टेक्नोलॉजी सहित सस्ते आवास और जल संरक्षण।**
 - ☞ **शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल**



- कृषि
- क्षमता निर्माण, कौशल विकास और स्थानीय रोजगार।
- सूक्ष्म उद्यम
- ग्रामीण स्तर पर ई-गवर्नेंस के माध्यम से जनसुविधा केंद्रों को इंसेटिवाइज किया जाएगा।
- लोहिया आवास योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना को स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट से जोड़कर दुबारा शुरू किया जाएगा।
- बंजारे और सपेरो के गांवों की पहचान कर उनका विकास किया जाएगा।

सिंचाई और कृषि सुरक्षा

- 'इरिगेशन फुटप्रिंट' ट्यूबवेल और नहर नेटवर्क के जरिए पूरे राज्य में सिंचाई सुविधाओं का 100 % विस्तार किया जाएगा
- नहर की अंतिम नालियों तक पानी को पहुँचाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- ग्रामवासियों की सुविधा के लिए नहरों के किनारों को सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा
- भूमिगत जल स्रोतों और पारंपरिक तालाबों, वेट लैंड और नालों को पुनर्जीवित करने के लिए 'जल संरक्षण' योजनाओं को लागू किया जाएगा। भूमिगत जल के स्रोतों के लिए 'डॉक ब्लॉक्स' को खत्म करने की दिशा में कार्य करेंगे।
- 'कुशल ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई' पद्धति को प्रोत्साहित किया जाएगा।

डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन

- 'कामधेनु योजना' पशुपालन के लिए दोबारा शुरू की जाएगी।
- 'चिलिंग प्लांटों को अपग्रेड करने के लिए योजना बनाई जाएगी।
- 'वेटनरी एम्बुलेंस और मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा' लागू की जाएंगी
- 'सूक्ष्म और लघु कुक्कुट पालन और मात्स्यिकी परियोजनाओं' को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।



इनोवेशन और टेक्नोलॉजी

- **'रूरल एग्रीकल्चर हब्स'** को उच्च स्तरीय तकनीक से लैस किया जाएगा। सभी प्रमुख एग्रो क्लाइमेटिक जोन में रिसर्च, जांच और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित किया जाएगा। ये हब्स कृषि विस्तार सेवाओं के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। इन केंद्रों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस युक्त किया जाएगा जहां पर कृषि फसल योजना, वृक्षारोपण, मांग और मूल्य पूर्वानुमान, उत्पादन मूल्यांकन और आपदा रोकथाम जैसी रिसर्च सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
- सभी कृषि विश्वविद्यालयों में **'बीज अनुसंधान संस्थान'** स्थापित किए जाएंगे।
- कृषि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए **'एग्री टेक इनक्यूबेशन सेंटर'** स्थापित किए जाएंगे।

किसान कल्याण

- सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी।
- सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी।
- **'किसान आय और कल्याण आयोग'** किसानों की आय में सुधार और सर्वेक्षण के लिए वार्षिक आधार पर अपनी सिफारिश देगा। यह आयोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों के लिए **'लिविंग वेज स्कीम'** को विकसित करेगा।
- **'किसान पेंशन'** वृद्ध महिलाओं, पुरुषों और विकलांग जनों को 18000 रुपए वार्षिक पेंशन का प्रावधान किया जाएगा।
- प्राकृतिक आपदाओं के मामले में आपातकालीन अनुदान के लिए **'किसान निधि'** की स्थापना की जाएगी।



- **किसान बीमा मुआवजे की राशि को बढ़ाकर रु. 10 लाख किया जाएगा।**
- **'फसल बीमा योजना'** के अंतर्गत नुकसान का शीघ्र एवं उचित मूल्यांकन और क्लेम सेटलमेंट की व्यवस्था की जाएगी। मौजूदा फसल बीमा योजना को वापस लिया जाएगा और राज्य प्रायोजित किसान हितैषी फसल बीमा योजना शुरू की जाएगी। फसलों के नुकसान का आंकलन करने के लिए समुदाय आधारित खेत के बजाय किसान और खेत आधारित ढांचा स्थापित किया जाएगा।
- समाजवादी पार्टी की सरकार छुट्टा जानवरों की समस्याओं से निपटने के लिए एक विशेष पॉलिसी बनाएगी
- पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण स्तर पर **ई-गवर्नेंस** की मदद से भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा।
- चुनिंदा कृषि उपकरणों और कृषि इनपुट्स की एसजीएसटी के पुनर्भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।
- विवादों को सुलझाने और स्वामित्व स्थापित करने के लिए कृषि भूमि की **'डिजिटल मैपिंग'** कराई जाएगी। भूमि विवाद एवं संभागीय खेतों के दावों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा।
- **'ग्राम न्यायालय अधिनियम'** को क्रियान्वित कर भूमि विवाद संबंधी मामलों को शीघ्र निस्तारित किया जाएगा।
- महिला लाभार्थियों के मामले में परिवारीजनों/रक्त संबंधियों के लिए **'कृषि भूमि के हस्तांतरण के लिए स्टाम्प शुल्क' को घटाकर 2% किया जाएगा।**
- आरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की परिधि में रहने वाले किसानों को निश्चित वार्षिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इससे न केवल जंगली जानवरों के कारण फसल क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय राहत मिलेगी बल्कि वन्यजीव संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- **'गन्ना किसान भुगतान मुद्दा' – 10 हजार करोड़ रु. का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा।** इससे गन्ना किसानों का भुगतान **15 दिन** के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
- चीनी मिलों में रिकवरी रेट को सुधारा जाएगा।
- रुरल लाइवलीहुड मिशन में कार्यरत कर्मचारियों और प्रोफेशनल्स को तय समय के भीतर वेतन और लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे।



महिला किसान अधिकार

- महिला किसानों को पुरुष किसानों की तरह पूर्ण अधिकार/समर्थन और मान्यता सुनिश्चित की जाएगी। कृषि परिवारों की मुखिया एकल महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ और सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी।
- महिलाओं को भूमि का अधिकार और पट्टा दिया जाएगा, पति और पत्नी के नाम पर **भूमि का संयुक्त स्वामित्व**, और महिला उत्तराधिकारियों के नाम पर भूमि के नामांतरण जैसे उपायों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

किरायेदार किसानों के अधिकार

- 'यूपी किरायादार किसान सशक्तिकरण नीति' यह नीति यह सुनिश्चित करेगी कि वास्तविक काशतकारों को सॉफ्ट क्रेडिट, आपदा राहत, बाजार के बुनियादी ढांचे, डीबीटी और एमएसपी का लाभ मिल सके। भूस्वामियों के स्वामित्व एवं अधिकारों का उल्लंघन किए बिना किसानों को पंजीकृत करने के लिए एक प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह पॉलिसी भूस्वामियों के स्वामित्व एवं अधिकार को सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह भी देखेगा कि सभी अनुबंध दोनों पक्षों के लिए व्यावहारिक मध्यस्थता और विवाद निवारण तंत्र के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी हों।

सस्टेनेबल कृषि

- जैविक खेती के लिए '**मूल्य मुआवजा प्रोत्साहन**' नीति बनाई जाएगी, जो कृषि पद्धति के बदलाव के कारण प्रथम तीन वर्षों में उपज के नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी।
- '**स्मार्ट किसान सहायक योजना**' शुरू की जाएगी इसके अंतर्गत 5 लाख ग्रामीण युवाओं को (कृषि विस्तार सेवा प्रदाताओं) प्रशिक्षित और नियोजित किया जाएगा ताकि राज्य में सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों का विकास हो सके। साथ ही यूपी को ई-कॉमर्स मार्केटिंग प्लेटफॉर्म द्वारा सक्षम '**क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर**' राज्य बनाया जा सके।



- **कृषि वानिकी नीति**- जैव विविधता के प्रति जागरूक करने एवं उत्तरप्रदेश राज्य के दस लाख हेक्टेयर यानि 15% क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण कवर के लिए '**कृषि वानिकी नीति**' लाई जाएगी। इससे राज्य में '**10 लाख नौकरियों का सृजन**' होगा।
- अगर कोई किसान अपनी भूमि को बेचना चाहे तो सरकार उसे मौजूदा सर्किल रेट से दोगुना दाम पर खरीदने का विकल्प देगी और उस भूमि को वन भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा।

ग्रामीण खेल

- '**रुरल स्पोर्ट्स लीग**'- ग्रामीण क्षेत्रों में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण खेल लीग की स्थापना की जाएगी।
- सभी तहसील कस्बों में '**खेल सुविधा केंद्र**' स्थापित किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में फौज में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जहाँ भी संभव होगा रनिंग ट्रैक बनाया जाएगा।



युवा और रोजगार



समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के युवाओं एवं युवतियों के उज्ज्वल और आत्मनिर्भर भविष्य को सुनिश्चित करेगी। हमारे मिशन के तहत उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी:

- गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर।
- स्वरोजगार के लिए कौशल विकास।
- सभी पात्र युवाओं के लिए सुरक्षित नौकरी का विकल्प।
- सुरक्षित कार्य का वातावरण।
- जाति और धर्म से परे आत्मसम्मान
- ग्रामीण युवाओं के लिए हाइटेक एग्रीकल्चर इनपुट और ट्रेनिंग

शिक्षा और कौशल विकास

- **'राज्य शिक्षा नीति'** के तहत अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा एवं सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। यूपी को **2026 तक शत-प्रतिशत साक्षर राज्य बनाया जाएगा।**
- **'तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान'** सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
- **'सैनिक स्कूल'** सभी मंडलों में स्थापित किए जाएंगे।
- **कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र'** सभी तहसील मुख्यालयों पर खोले जाएंगे विशेष रूप से लड़कियों को कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।



- **'राज्य के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष'** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने में सक्षम छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष का गठन किया जाएगा।
- **आर्मी और पुलिस की भर्ती के लिए सभी जिलों में ट्रेनिंग कैम्प लगाए जाएंगे।**
- **'लैपटॉप'** वितरण योजना शुरू की जाएगी।
- **'आवासीय छात्रावास'** बड़े शहरों में छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे।
- परीक्षा एडमिट कार्ड को राज्य की बसों में फ्री पास के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

रोज़गार

- **'शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम'** मनरेगा की तर्ज पर लाया जाएगा। ताकि नौजवान पुरुषों और महिलाओं को तब तक न्यूनतम रोजगार और आय की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी जब तक कि वे एक सुरक्षित व्यवसाय या नौकरी प्राप्त करने में सक्षम न हो जाएं।
- **समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 तक 10 लाख सरकारी एवं 1 करोड़ प्राइवेट नौकरियों का सृजन करेगी।**
- **'राज्य रोजगार नीति'** सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विस्तृत रोडमैप बनाया जाएगा।
- **'रोजगार विभाग'** ई पोर्टल के माध्यम से बेरोजगारी के आंकड़े संभावित नियोक्ताओं के साथ साझा करेगा
- **'अंतर विश्लेषण और क्षमता वृद्धि'** राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार सभी सरकारी विभागों में किए जाने वाले कार्यों का अंतर विश्लेषण कर उनकी क्षमता में वृद्धि की जाएगी।
- **'न्यूनतम मजदूरी'** अकुशल और अर्ध कुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा की जाएगी और इसे राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाया जाएगा।
- **'हेल्थकेयर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर'** में सभी रिक्तियों को एक साल के भीतर पूरा किया जाएगा और अल्प अवधि एवं संविदा नियुक्ति की व्यवस्था को खत्म किया जाएगा।
- **'पब्लिक हेल्थ सिस्टम में कार्यरत पैरा-मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ'** को दोगुना किया जाएगा।
- आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष भर्ती और प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा आशा कार्यकर्ताओं को अन्य ग्रामीण सेवाओं के बराबर पारिश्रमिक दिया जाएगा।



- **'सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैंडर'** विकसित किया जाएगा ताकि फ्रंटलाइन डॉक्टरों को सभी प्रशासनिक कर्तव्यों से मुक्त किया जाएगा।
- पुलिस बल में थाना स्तर पर रिक्तियों और क्षमताओं का विश्लेषण किया जाएगा और मानदंडों के अनुसार भर्ती की जाएगी।
- **'सरकार बनने के एक साल के भीतर यूपी पुलिस में सभी रिक्तियों को पूरा किया जाएगा।'**
- पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि महिलाओं की स्वतंत्र **'वूमन पुलिस युनिट'** स्थापित हो सके।
- **'स्मार्ट किसान सहायक योजना'** शुरू की जाएगी इसके अंतर्गत 5 लाख ग्रामीण युवाओं को (कृषि विस्तार सेवा प्रदाताओं) प्रशिक्षित और नियोजित किया जाएगा ताकि राज्य में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों का विकास हो सके। साथ ही यूपी को ई-कॉमर्स मार्केटिंग प्लेटफॉर्म द्वारा सक्षम **'क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर'** राज्य बनाया जा सके।
- कृषि वानिकी नीति- जैव विविधता के प्रति जागरूक करने एवं उत्तरप्रदेश राज्य के दस लाख हेक्टेयर यानि 15% क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण कवर के लिए **'कृषि वानिकी नीति'** लाई जाएगी। इससे राज्य में 10 लाख नौकरियों का सृजन होगा।
- **'नदी मित्र'** योजना उत्तर प्रदेश में नदियों और उनके संरक्षण में सहायता प्रदान करने के लिए लिए किसानों और स्थानीय समुदायों को डीबीटी द्वारा मासिक स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा ताकि यूपी नदी मिशन के साथ इस योजना को एकीकृत किया जा सके।
- **'पर्यावरण मित्र और सारस मित्र'** इस योजना के अंतर्गत किसानों और स्थानीय निवासियों को मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो वनों, वेटलैंड, नदियों, घास के मैदान और उसके आसपास वन्यजीव संरक्षण, आवास संरक्षण में वन विभाग की सहायता करेंगे।



- 'राज्य के सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को लेकर बाघ/वन्यजीव सुरक्षा बल' का गठन किया जाएगा।
- पब्लिक प्रासीक्यूटर की भर्ती तीन महीने के भीतर की जाएगी।
- राज्य में पुराने और नए सभी उद्यमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'यूपी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन' किया जाएगा।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अवसर गंवाने वाले उम्मीदवारों को 'आयु में दो वर्ष की छूट' दी जाएगी।
- ग्राम रोजगार सेवकों को सरकारी नौकरी में उचित वेतनमान में नियमित किया जाएगा।

उद्यमिता विकास

- 'विकास का इंजन' समाजवादी पार्टी सरकार राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करेगी और इसे 'विकास के इंजन' के रूप में बदलेगी ताकि राज्य में 2027 तक एक करोड़ नौकरियों का सृजन हो सकेगा।
- 'एग्री टेक इनक्यूबेशन सेंटर' कृषि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए स्थापित किया जाएंगे।
- 'फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर' सभी मंडल शहरों में स्थानीय फसलों को बढ़ावा देने के लिए फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे।
- 'निर्यात उन्मुख खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर' उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख कृषि-जलवायु क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।
- 'कामधेनु योजना' डेयरी के लिए कामधेनु योजना को फिर से शुरू किया जाएगा।
- 'सूक्ष्म और लघु कुक्कुट पालन और मात्स्यिकी परियोजनाओं' को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- '20 किसान सहयोग समूह (एफपीओ)' हर जिले में स्थापित किया जाएगा' यानी पूरे राज्य में 1500। यह 'इकानमी ऑफ स्केल' के मुद्दे को संबोधित करने और किसानों की आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित होगा।



- **'समुदाय आधारित इको-टूरिज्म क्लस्टर'** बनाए जाएंगे और दुनिया भर के विशेषज्ञों की मदद से आवश्यक कौशल विकास, राज्य वित्त पोषण और विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- **'पर्यटन स्वयं सहायता समूह'** पर्यटन चैनलों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित किया जाएगा। यह बिचौलियों को हटाकर वास्तविक कारीगरों को अधिकतम लाभ पहुंचाने में मदद करेगा।
- **'बुंदेलखंड क्षेत्र' को एडवेंचर, वाइल्डलाइफ एवं हेरिटेज टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाएगा।**
- **'महिला सूक्ष्म उद्यमियों'** को विशेष लाभ और प्रोत्साहन दिया जाएगा इससे महिला उद्यमियों के लिए एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिलेगी।
- **'ग्रामीण औद्योगिक हब'** स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने के लिए पिछड़े जिलों में विकसित किए जाएंगे।
- **'20 कारीगर सहयोग समूह (आईपीओ)'** हर जिले में स्थापित किए जाएंगे यानि पूरे उत्तरप्रदेश में 1500।
- **'डेटा जेनरेशन, आईटी और रूरल बीपीओ सेक्टर'** को स्थानीय रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **'क्षेत्रीय मीडिया हब'** मीडिया सेक्टर में संगठित रोजगार सृजन के लिए विकसित किए जाएंगे।

खेल

- **'तीन विश्व स्तरीय स्टेडियम'** स्थापित किए जाएंगे।
- **'पांच स्पोर्ट्स कॉलेज'** राज्य भर में स्थापित किए जाएंगे।
- **'खेल सुविधा और कोचिंग सेंटर'** सभी जिलों और कस्बों में स्थापित किए जाएंगे।
- **'स्पोर्ट्स मेडिसिन युनिवर्सिटी'** खेल चिकित्सकों का संवर्ग बनाने के लिए स्थापित किए जाएंगे।
- **'रूरल स्पोर्ट्स लीग' फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेलों के लिए रूरल स्पोर्ट्स लीग की स्थापना की जाएगी।**
- **'सीएम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप'** मेधावी खिलाड़ियों को पोषण, प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करने के लिए सीएम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की स्थापना की जाएगी।



स्वास्थ्य और परिवार कल्याण



नीति

- 'राज्य स्वास्थ्य नीति 2022' लाई जाएगी, यह हेल्थकेयर सिस्टम को ज्यादा मजबूत, उदार और उत्तरदायी बनाएगी जोकि विशेष रूप से चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करेगी।
- 'कैशलेस हेल्थ सर्विस' के द्वारा गरीब लोगों को गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जाएगी।
- हेल्थ सेक्टर के बजट की समीक्षा/प्राथमिकता तय करते हुए वर्तमान आवंटन के तीन गुना यानी राज्य के बजट का लगभग 10% तक बढ़ाया जाएगा, ताकि राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
- 'राज्य महामारी राहत एजेंसी' भविष्य में कोरोना जैसी महामारी को रोकने और मैनेज करने के लिए स्थापित की जाएगी।
- 'हेल्थ सिटीज की स्थापना के लिए नीति' बनाई जाएगी।
- 'मेडिकल टेस्ट केमूल्य की सीमा तय करने के लिए नीति' लाई जाएगी।

आधारभूत संरचना

- 'सभी जिला अस्पतालों में सुविधाओं और सेवाओं का उच्चीकरण' ताकि यूपी की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों का भरोसा बढ़ सके।
- 'सभी सरकारी अस्पतालों में गैप विश्लेषण और क्षमता वृद्धि' की जाएगी।



- 'सभी जिला अस्पतालों को आईसीयू और वेंटिलेटर युक्त बनाया जाएगा और उन्हें उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा'
- सभी ट्रॉमा सेंटर्स की समीक्षा कर उनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी।
- 'सभी 18 मंडलों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।'
- 'ग्रामीण क्षेत्रों में पांच क्षेत्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।'
- सभी मंडल कस्बों में 'नर्सिंग और फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थान' स्थापित किए जाएंगे।
- '108/102 एम्बुलेंस नेटवर्क' को उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ पुनर्जीवित और संवर्धित किया जाएगा।
- 'कार्डियक इमरजेंसी एम्बुलेंस' की उपलब्धता सभी जिलों के ब्लॉकों में सुनिश्चित की जाएगी
- 'तकनीक सक्षम मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का नेटवर्क' स्थापित किया जाएगा।
- सभी जिलों में 'ब्लड बैंक' स्थापित किए जाएंगे।
- यूपी के सभी सरकारी क्लीनिकों और अस्पतालों में '24 घंटे बिजली आपूर्ति' सुनिश्चित की जाएगी।
- गर्भवती माताओं और नियो नेटल केयर को सहायता प्रदान करने के लिए एएनएम कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 'सभी शहरों में आशा ज्योति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।'

मानव संसाधन विकास

- 'स्टेट हेल्थ केयर सिस्टम में सभी रिक्त पदों पर एक वर्ष के भीतर नियुक्ति की जाएगी और अल्पावधि एवं संविदा भर्तियों को बंद किया जाएगा।'
- 'ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और दूरदराज के स्थानों में काम करने वाले युवा डॉक्टरों को मासिक नकद प्रोत्साहन और सुरक्षा दिया जाएगा।'
- पब्लिक हेल्थ सिस्टम में पैरा-मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की संख्या को दोगुना किया जाएगा।



- आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष भर्ती और प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं को अन्य ग्रामीण सेवाओं के बराबर पारिश्रमिक दिया जाएगा।
- **'स्वास्थ्य सहायक योजना'** आरएमपी को प्रशिक्षित कर क्वालीफाइड डॉक्टरों से ऑनलाइन लिंक किया जाएगा।
- मेडिकल कॉलेजों में योग्य शिक्षकों की भर्ती की जाएगी एवं आईएमए के माध्यम से गेस्ट लेक्चरर की भी व्यवस्था की जाएगी।
- **'सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर'** विकसित किया जाएगा ताकि फ्रंटलाइन डॉक्टरों को सभी प्रशासनिक कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकेगा।
- इस कैडर को विकसित करने के लिए **'यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट'** की स्थापना की जाएगी।

सूचना, प्रौद्योगिकी और टेली मेडिसिन परामर्श

- सभी पीएचसी/एपीएचसी/सीएचसी पर **'ऑनलाइन टेलीमेडिसिन परामर्श और सामान्य चिकित्सक सेवाएं'** उपलब्ध कराई जाएंगी।
- **'108/102 एम्बुलेंस नेटवर्क को आईटी आधारित तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा। ताकि रिस्पांस समय 15 मिनट से कम हो।**
- सभी तहसीलों पर **'प्रौद्योगिकी सक्षम चिकित्सा परीक्षण केंद्र'** स्थापित किए जाएंगे ताकि निजी परीक्षण केंद्रों पर भी एक समान मूल्य सीमा तय हो सकेगी।
- महामारी की भविष्यवाणी करने और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित डेटा लर्निंग की स्थापना की जाएगी।



कल्याण

- **'निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श'** 1.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य और देखभाल एवं परामर्श की व्यवस्था की जाएगी।
- **'10 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर'** गरीबी रेखा से नीचे के सभी नागरिकों के लिए गंभीर बीमारी होने पर 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- दुर्घटना/ आपातकालीन मामलों के पीड़ितों के लिए निकटतम निजी/सार्वजनिक अस्पताल में तत्काल उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
- **'सीएम स्वास्थ्य कोष'** कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज वाले जरूरतमंद मरीजों को अनुदान प्रदान करने के लिए सीएम स्वास्थ्य कोष की स्थापना की जाएगी।





नीति

- **'राज्य शिक्षा नीति 2022'** शिक्षा में उत्कृष्टता लाने और सीखने की दिशा में पुनरुत्थान एवं नवाचार आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी।
- **'प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिशन'** के तहत 2027 तक १२वीं कक्षा तक 100 % साक्षरता दर के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा।
- **'फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन'** कन्याओं के लिए **'केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा'** इस मिशन का प्रमुख केंद्र होगा।
- **'सकल नामांकन अनुपात'** को उच्च शिक्षा में 50 फीसदी एवं माध्यमिक शिक्षा में 100 फीसदी तक बढ़ाया जाएगा।
- सभी स्तर पर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता को बेहतर किया जाएगा, **'विश्वविद्यालयों की सीटों में दोगुना वृद्धि'** की जाएगी।
- **'एजुकेशन सेक्टर बजट'** को वर्तमान आवंटन से तीन गुना तक बढ़ाया जाएगा ताकि शिक्षा के क्षेत्र में **'जीडीपी का लगभग 6% तक खर्च'** किया जा सके।
- **'स्टेट एजुकेशन पॉलिसी'** के तहत अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा एवं सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के लिए स्थानीय भाषाओं को पढ़ाया जाएगा।



- अंग्रेजी शिक्षा को पहली कक्षा से ही सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा।
- **'एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए पॉलिसी'** बनाई जाएगी।
- **'पर्यावरण शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य'** सभी प्राथमिक/माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी के मन में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा हो सके।

बुनियादी ढांचा

- **प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा**
- **'सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाओं और सेवाओं का उच्चीकरण'** करके सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में विश्वास वृद्धि की जाएगी।
- स्कूलों को टेबल, कुर्सी, वाटर कूलर और खेल उपकरण से लैस किया जाएगा।
- कम्प्यूटर शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर सभी स्कूलों में शुरू किया जाएगा।
- **'जीआईसी और जीजीआईसी'** को सभी जिलों में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- सभी जिलों में **'समाजवादी आवासीय मॉडल स्कूल'** विकसित किए जाएंगे।
- सभी सरकारी स्कूलों को **'24 घंटे सौर विद्युत आपूर्ति'** की जाएगी।
- निजी क्षेत्र के सभी ग्रामीण स्कूलों में 'गुणवत्ता उन्नयन' के लिए प्रोत्साहन योजना बनाई जाएगी।
- प्राथमिक विद्यालय के महिला शिक्षकों को इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।



व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास

- सभी जिलों में 'तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान' स्थापित किए जाएंगे।
- सभी मंडलों में 'सैनिक स्कूल' स्थापित किए जाएंगे स
- 'कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र' सभी तहसील मुख्यालयों पर खोले जाएंगे विशेष रूप से लड़कियों को कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
- सभी मंडलों में 'नर्सिंग और फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थान' स्थापित किए जाएंगे।

उच्च शिक्षा

- 'स्टेट एजुकेशन फंड' उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को 'रियायती छात्र ऋण' प्रदान करने के लिए 'राज्य शिक्षा कोष' बनाया जाएगा।
- 'प्रयागराज शहर को देश के 'मॉडल एजुकेशन सिटी' के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 'लखनऊ विश्वविद्यालय में विरासत, संस्कृति और ललित कलाओं पर विशेष जोर देने के साथ-साथ अन्य सभी मौजूदा संकायों को उच्चीकृत कर सीखने की 'सेण्टर ऑफ़ लर्निंग' के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 'सभी तहसील मुख्यालयों पर राजकीय डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।'
- ग्रामीण क्षेत्रों में 'पांच क्षेत्रीय विश्वविद्यालय' स्थापित किए जाएंगे।
- 'एचबीटीआई और यूपीटीयू को सेंटर फॉर एक्सीलेंस तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 'स्टेट रिसर्च फंड' यूजीसी की तरह राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने वाले छात्रों को अनुदान प्रदान करने के लिए 'राज्य अनुसंधान कोष' बनाया जाएगा।
- 'कन्याओं के लिए सभी 18 मण्डलों में टीचर ट्रेनिंग कोर्स के केंद्र स्थापित किए जाएंगे।'



- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्थानीय छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए पिछड़े जिलों में **'ग्रामीण कोचिंग हब'** विकसित किए जाएंगे।
- **'हेरिटेज इंस्टीट्यूट स्क्रीम'** 50 वर्ष से पुराने स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को उच्चीकृत करने व उन्हें अनुदान प्रदान करने के लिए **'विरासत संस्थान योजना'** लाई जाएगी।
- **'आवासीय छात्रावास'** बड़े शहरों में छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे।
- **'राज्य की बसों में छात्रों के लिए फ्री ट्रैवल पास जारी किए जाएंगे।'**
- **'विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के लिए बस सेवा'** सभी प्रमुख शहरों में छात्रों के लिए बस सेवा की शुरुआत की जाएगी।
- परिवार आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र, स्कूल/कॉलेज डाक्यूमेंट को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।

मानव संसाधन विकास

- **'प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों पर एक वर्ष के भीतर नियुक्तियां की जाएंगी और अल्प अवधि एवं संविदा भर्ती व्यवस्था को बंद किया जाएगा।'**
- **'अंतर विश्लेषण और क्षमता वृद्धि'** सभी सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार गैप एनालिसिस और उनकी क्षमता वृद्धि की जाएगी।
- **'युवा शिक्षकों को मासिक नकद प्रोत्साहन और सुरक्षा'** दूर-दराज के ग्रामीण स्कूलों में कार्यरत युवा शिक्षकों को मासिक नकद प्रोत्साहन और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- **'गैर-शैक्षणिक कार्य जैसे चुनाव ड्यूटी'** की प्रणाली सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर अनिवार्य नहीं की जाएगी।



- शिक्षामित्र की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम को दोगुना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षामित्रों का पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा **शिक्षा मित्रों के मानदेय में 5000 रुपए की वृद्धि की जाएगी** और उन्हें तीन साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरी दी जाएगी।
- **'शिक्षा प्रबंधन संवर्ग को दक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए नए तरीके से पुनर्गठित किया जाएगा।'**
- **'विशेष पारिश्रमिक पैकेज और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाकर बीपीएड प्रशिक्षित शिक्षकों, अनुदेशकों, गणित और विज्ञान के जूनियर स्कूल शिक्षकों, उर्दू शिक्षकों, बेरोजगार समूह, बीटीसी बेरोजगार शिक्षक, 108/102 एम्बुलेंस कार्यकर्ता, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एमडीएम रसोइया की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।'**
- **'वित्तविहीन स्कूल शिक्षकों को 5000 रुपए प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाएगा'**

सूचना, प्रौद्योगिकी और टेली शिक्षा

- **'ऑनलाइन टेली-शिक्षा'** सभी प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में 'ऑनलाइन टेली-शिक्षा' उपलब्ध कराई जाएगी।
- **'सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी।'**
- **'मोबाइल डिजिटल और मल्टीमीडिया लाइब्रेरी'** ग्रामीण स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी जिलों में स्थापित की जाएगी।
- **'लैपटॉप वितरण योजना' 12वीं कक्षा पास करने वाले राज्य के सभी छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा ।**
- **'स्पेशल कम्प्यूटर कोडिंग लैंग्वेज कोर्सेज'** राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में कोडिंग भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।



लोककल्याण

- **'मुफ्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा'** बीपीएल परिवारों के छात्रों को मुफ्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- **'अर्बन यूनिवर्सल स्कूल वाउचर सिस्टम'**, शहरी क्षेत्र के प्रत्येक छात्र के खाते में 500 रुपए प्रतिमाह (6000 प्रति वर्ष) डीबीटी के माध्यम भेजा जाएगा।
- **'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड'** 5000 रुपए की लिमिट के साथ शुरू किया जाएगा।
- **'मध्याह्न भोजन योजना में सुधार और विस्तार'** बच्चों के संतुलित विकास के लिए केंद्रीकृत रसोई वितरण की अवधारणा को पेश किया जाएगा और उन्हें संतुलित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा।
- **'बीपीएल परिवारों के लिए शिक्षा बीमा कवर'** कमाने वाले माता-पिता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए शिक्षा बीमा कवर योजना लायी जाएगी।
- **'राज्य के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष'** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने में सक्षम छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष का गठन किया जाएगा।



सामाजिक न्याय



मिशन

- समाजवादी पार्टी की सरकार दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ 'जघन्य अपराधों' के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति का पालन करेगी।
- 'सामाजिक न्याय आयोग' का गठन किया जाएगा जो गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से निराश और संकटग्रस्त लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उपाय सुझाएगा।
- समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जातिवार जनगणना कराई जाएगी।

समाजवादी कैटीन और किराना स्टोर

- 'समाजवादी कैटीन और किराना स्टोर' सभी शहरों में स्थापित किए जाएंगे। इस कैटीन के जरिए गरीब श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों और बेघरों को रियायती दर में भोजन एवं राशन प्रदान किया जाएगा। इस कैटीन में **10 रुपए में 'समाजवादी थाली'** की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के जरिए उत्तरप्रदेश को भूख की समस्या से निजात दिलाई जाएगी।
- 'प्रदेश के सभी बीपीएल परिवारों को प्रतिवर्ष दो एलपीजी सिलिंडर मुफ्त दिए जाएंगे।'
- सभी दो पहिया वाहन चालकों को प्रति माह एक लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जाएगा।
- सभी ऑटो रिक्शा चालकों को तीन लीटर पेट्रोल/ 6किलो सीएनजी प्रति माह मुफ्त दिया जाएगा।

अंत्योदय योजना

- 'गेहूं, चावल, दाल और खाना पकाने के तेल के मुफ्त वितरण के लिए अंत्योदय योजना को दुबारा शुरू किया जाएगा।'
- 'पीडीएस राशन वितरण की होम डिलिवरी की व्यवस्था की जाएगी।'
- 'मैन्युअल कचरा प्रबंधन को समाप्त किया जाएगा और ऐसे कर्मियों को मशीन ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षित



किया जाएगा ताकि वे अन्य कार्य भी कर सकें।

- सभी बड़े शहरों में अति गरीब नागरिकों के लिए '**रात्रि विश्राम आश्रय गृह**' बनाए जाएंगे।

प्रवासी मजदूर

- प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए '**24X7 हेल्पलाइन नंबर**' की स्थापना की जाएगी
- 'प्रवासी कामगारों को सभी बड़े शहरों में रियायती दर पर डॉरमेट्री आवास की सुविधा प्रदान किया जाएगा।
- प्रवासी कामगारों के लिए राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की जाएगी।
- '**स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी**' प्रवासी कामगारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की जाएगी।

कारीगर/कामगार

- '**कारीगर/कर्मचारी पेंशन**' वृद्ध महिलाओं, पुरुषों और विकलांगों को **प्रति वर्ष 18000 रुपये** प्रदान की जाएगी।
- '**कारीगर/श्रमिक बीमा क्षतिपूर्ति के लिए 10 लाख रुपये सुनिश्चित की जाएगी।**' कर्मचारी/कारीगर आय और कल्याण आयोग' गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कामगारों के परिवारों की आय में सुधार और सर्वेक्षण के लिए स्थापित कर लिविंग वेज स्कीम को क्रियान्वित किया जाएगा।
- '**शहरी आवास योजना**' भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में मौजूदा घरों को फिर से तैयार करने के लिए 'शहरी आवास योजना' लाई जाएगी।
- '**एमएसएमई रिकवरी पैकेज**' सूक्ष्म उद्योग से जुड़े, **प्रभावित कर्मचारियों के लिए 10000 करोड़ रुपये** का पैकेज जारी किया जाएगा। सभी हितधारकों का प्रभावी मूल्यांकन करते हुए सूक्ष्म उद्योग के कामगारों और कारीगरों को डीबीटी के माध्यम से एकमुश्त वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा।

रोज़गार

- '**शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम**' मनरेगा की तर्ज पर लाया जाएगा। ताकि नौजवान पुरुषों और महिलाओं को तब तक न्यूनतम रोजगार और आय की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी जब तक कि वे एक सुरक्षित व्यवसाय/नौकरी प्राप्त करने में सक्षम न हो जाएं।



- 'कुशल और अर्द्धकुशल कामगारों के न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा की जाएगी और इसे राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाया जाएगा।'

किसान सशक्तिकरण

- उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को चार साल यानि 2025 तक कर्ज मुक्त करने का हमारा लक्ष्य है।
- प्रभावी और व्यापक कृषि ऋण राहत अधिनियम बनेगा ताकि किसानों को बार-बार ऋण माफी का सहारा न लेना पड़े।
- इस अधिनियम के तहत एक आयोग की स्थापना की जाएगी। यह आयोग प्रत्येक मौसम में 'संकटग्रस्त क्षेत्रों' और 'संकटग्रस्त फसलों' की पहचान करेगा और प्रभावी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ठोस उपायों की सिफारिश करेगा।
- यह न केवल बैंक ऋण बल्कि निजी ऋणों तक भी विस्तारित होगा।
- किसानों को राहत पहुंचाने हेतु 0% ब्याज के साथ ऋणों का पुनर्निर्धारण, ब्याज पर प्रतिबंध, संकटग्रस्त स्थिति में आंशिक या पूर्ण छूट जैसे विकल्प शामिल होंगे।
- इस अधिनियम के तहत सभी वास्तविक किसानों को संस्थागत ऋण की गारंटी दी जाएगी।
- व्यापक स्तर पर लोन-स्वैप स्कीम को लागू किया जाएगा जिससे प्राइवेट लोन को बैंक लोन में बदला जाएगा।
- इस अधिनियम के तहत किसानों को सूक्ष्म उद्यमी के रूप में विकसित किया जाएगा। जिसमें किसानों पर न्यूनतम देनदारी होगी और वो दिवालिया संरक्षण का भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- 'वृद्ध महिला, पुरुष एवं विकलांगों के लिए 18000 रुपए सालाना किसान पेंशन की व्यवस्था की जाएगी।'
- 'प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मौतों के लिए किसान फंड की व्यवस्था की जाएगी।'
- किसान बीमा योजना को १० लाख रुपए तक सुनिश्चित किया जाएगा।



महिला सशक्तिकरण

- जरूरतमंद बीपीएल परिवार की महिलाओं की सहायता के लिए 18000 रुपए सालाना की दर से **'समाजवादी पेंशन योजना'** को दोबारा शुरू किया जाएगा।
- **'साइकिल और सोलर टेबल लैंप वितरण योजना'** कक्षा नौ एवं उससे आगे की शिक्षा प्राप्त कर रही बेटियों को दिया जाएगा।
- गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए **हौसला पोषण मिशन** को दुबारा शुरू किया जाएगा।
- **'महिला राशन कार्ड सभी बीपीएल परिवारों को एक वर्ष के भीतर जारी किया जाएगा।'**
- **'कृषि भूमि हस्तांतरण/बस्तियों के लिए स्टाम्प शुल्क'** महिला लाभार्थियों के मामले में परिवारों/रक्त संबंधियों के लिए स्टाम्प शुल्क को घटाकर 2% किया जाएगा।
- **'पति और पत्नी के नाम पर भूमि का संयुक्त स्वामित्व'** प्रदान करने के लिए महिलाओं को भूमि अधिकार और पट्टा प्रदान किया जाएगा। महिला उत्तराधिकारियों के नाम पर भूमि के परिवर्तन जैसे उपायों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
- **'बीपीएल परिवारों की महिलाओं को प्रसव पर 15000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा'**
- **'विधवा, विकलांग और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए 2 लाख रुपए का और एक मकान अनुदान स्वरूप दिया जाएगा'**
- **सभी शहरों में आशा ज्योति केंद्र स्थापित किए जाएंगे**

शिक्षा

- **'लैपटॉप' वितरण योजना'** 12वीं कक्षा पास करने वाले राज्य के सभी छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्थानीय छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए पिछड़े जिलों में **'ग्रामीण कोचिंग हब'** विकसित किए जाएंगे।



- बीपीएल परिवारों के छात्रों को मुफ्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- **'अर्बन यूनिवर्सल स्कूल वाउचर सिस्टम'**, शहरी क्षेत्र के प्रत्येक छात्र के खाते में 500 रुपए प्रतिमाह (6000 प्रति वर्ष) भेजा जाएगा।
- **'मध्याह्न भोजन योजना में सुधार और विस्तार'** बच्चों के संतुलित विकास के लिए केंद्रीकृत रसोई वितरण की अवधारणा को पेश किया जाएगा और उन्हें संतुलित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा।
- **'बीपीएल परिवारों के लिए शिक्षा बीमा कवर'** कमाने वाले माता-पिता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए लाया जाएगा।
- **'राज्य के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष'** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने में सक्षम छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष का गठन किया जाएगा।

स्वास्थ्य

- **'निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श'** 1.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श की व्यवस्था की जाएगी।
- **'सभी दुर्घटना/आपातकालीन मामलों के पीड़ितों के लिए निकटतम निजी/सार्वजनिक अस्पताल में तत्काल उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।'**
- **'सीएम स्वास्थ्य कोष'** कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज वाले जरूरतमंद मरीजों को अनुदान प्रदान करने के लिए सीएम स्वास्थ्य कोष की स्थापना की जाएगी।

विशेष समाज एवं जनजाति

- निषाद एवं विश्वकर्मा समाज के लोगों को कॉर्पोरेशन के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
- 'बंजारा, बहेलिया, नट और सपेरों के गांवों की पहचान कर उन्हें विकसित किया जाएगा



वरिष्ठ नागरिक

- सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस यात्रा।
- 'कॉल सेंटर और वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे' इन वृद्धाश्रमों को प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स द्वारा संचालित किया जाएगा एवं रहने वाले नागरिकों को घर जैसी सुविधा प्रदान की जाएगी।
- 'समाजवादी श्रवण यात्रा' योजना को दुबारा शुरू किया जाएगा।
- 'पेंशनर्स का वेरीफिकेशन उनके घर के द्वार पर किया जाएगा।'



महिला सशक्तिकरण



"समान मानसिक क्षमताओं से युक्त नारी, पुरुष की साथी है। उसे पुरुष की प्रत्येक गतिविधियों में स्वतंत्रता एवं समानता के साथ भाग लेने का अधिकार है। पुरुष के समान नारी भी अपने क्षेत्र की गतिविधियों की सर्वोच्च भागीदार है। सिर्फ पढ़ने लिखने से ही नहीं बल्कि यह स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए। यह कुप्रथा है कि अज्ञानी और बेकार पुरुष भी सिर्फ पुरुष होने के कारण महिलाओं पर श्रेष्ठता जताते हैं, जिसके वे न तो हकदार हैं और न ही होने चाहिए। महिलाओं की स्थिति के कारण ही हमारे कई आंदोलन आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं।"

-महात्मा गांधी

नीति

- समाजवादी पार्टी की सरकार '**महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों**' सहित प्रत्येक नागरिक के लिए '**हेट क्राइम**' के खिलाफ '**जीरो टॉलरेंस की नीति**' के लिए संकल्प बद्ध है।
- '**उत्तर प्रदेश में पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को ३३% आरक्षण दिया जाएगा**' यह आरक्षण सभी श्रेणियों जैसे सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, एससी और एसटी के लिए लागू होगा।
- लड़कियों की केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त की जाएगी।
- प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिशन' के तहत 2027 तक १२वीं कक्षा तक 100% नामांकन और गुणवत्ता पूर्ण साक्षरता दर के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा।
- जेंडर बजटिंग को सरकारी नीतियों में लागू कराया जाएगा।



शिक्षा और कौशल विकास

- 'साइकिल और सोलर टेबल लैंप वितरण योजना' को नौवीं कक्षा से आगे पढ़ने वाली छात्राओं को दिया जाएगा।
- 'छात्राओं के लिए समाजवादी आवासीय मॉडल स्कूल' सभी जिलों में विकसित किए जाएंगे।
- 'सभी महिला फ्रंटलाइन कर्मियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर' उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 'कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र' सभी तहसील मुख्यालयों पर खोले जाएंगे विशेष रूप से लड़कियों को कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 2 लाख लड़कियों को कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
- सभी मंडलों में 'नर्सिंग और फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थान' स्थापित किए जाएंगे।
- 'लड़कियों को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कॉलेज' सभी 18 मंडलों में स्थापित किए जाएंगे।
- 'आवासीय छात्रावास' बड़े शहरों में छात्राओं के लिए स्थापित किए जाएंगे।
- 'कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए बस सेवा' सभी प्रमुख शहरों में छात्राओं के लिए शुरू की जाएगी।
- 'राज्य बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा।'
- 'लैपटॉप वितरण में लड़कियों को 50% प्रतिनिधित्व' राज्य भर से 12वीं कक्षा पास करने वाली बेटियों के लैपटॉप वितरण योजना में 50% प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।
- 'राज्य के मेधावी छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष' राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने में सक्षम छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष का गठन किया जाएगा।

रोज़गार

- 'महिला शिक्षिकाओं को उनकी पोस्टिंग के लिए विकल्प दिया जाएगा'
- 'गैर शिक्षण कार्य जैसे चुनाव ड्यूटी' सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं पर लागू नहीं किया जाएगा।
- शिक्षा मित्र के लिए पारिश्रमिक अन्य ग्रामीण सेवाओं के बराबर किया जाएगा।



- **शिक्षामित्र की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।** शिक्षामित्रों का पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा एवं शिक्षा मित्रों के **मानदेय में 5000 रुपये की वृद्धि की जाएगी** और उन्हें तीन साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरी का प्रावधान किया जाएगा।
- आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष भर्ती और प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं को अन्य ग्रामीण सेवाओं के बराबर पारिश्रमिक दिया जाएगा।
- **'पब्लिक हेल्थ सिस्टम में पैरा-मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की संख्या को दोगुना किया जाएगा।'**
- **'कामकाजी महिला छात्रावास'** बड़े शहरों में स्थापित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य

- **'निःशुल्क सैनैटरी पैड वितरण'** ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से वितरण कराये जायेंगे
- **'हौसला पोषण मिशन'** गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए मिशन को दुबारा शुरू किया जाएगा।
- गर्भवती माताओं और नियो नेटल केयर को सहायता प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रदान किया जाएगा।
- **'108/102 एम्बुलेंस नेटवर्क'** को उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ पुनर्जीवित और संवर्धित किया जाएगा।

सुरक्षा

- **'पुलिस बल में महिलाओं लिए विशेष भर्ती अभियान'**, ताकि एक स्वतंत्र **'महिला पुलिस इकाई'** का निर्माण किया जा सके।
- **'यूपी पुलिस बल में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।'**
- **'आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम'** तहसील स्तर पर सभी स्कूलों और संस्थानों में नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाएंगे।



- सरकार बनने के एक साल के भीतर **सभी गांवों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन सर्विलांस की व्यवस्था स्थापित की जाएगी ताकि डायल 100/112 द्वारा मॉनीटरिंग और रिस्पांस की व्यवस्था आटोमेटिक तरीके से हो सकेगी।**
- **यूपी-100/112 को सरकार ने लचर कर दिया है उसे टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड कर फिर से स्थापित किया जाएगा और पूरे प्रदेश में रिस्पांस सिस्टम को 15 मिनट के भीतर किया जाएगा।**
- **वूमन पॉवर लाइन 1090 को मजबूत किया जाएगा' और ईमेल और व्हाट्सएप द्वारा शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।**
- **'1090 ऐप में अपराध समाधान, जांच की प्रगति और अपराध समाधान रिपोर्ट को ट्रैक करने के लिए सिस्टम विकसित किया जाएगा।'**
- **'स्पेशल वूमन सेल' महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की निगरानी एवं रोकथाम के लिए डीजीपी की अगुवाई में गठित किया जाएगा।**
- **'सभी पुलिस अधिकारियों के एसीआर में उनके लैंगिक समानता प्रदर्शन का पता लगाने के लिए एक इंडेक्स होगा।**
- **सभी जिलों में 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' बनाया जाएगा।**
- **'आशा ज्योति केंद्र' महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दों के वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे।**

अधिकार और कल्याण

- **'सभी बीपीएल परिवारों को एक वर्ष के भीतर महिला राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।'**
- **महिला लाभार्थियों के मामले में परिवारीजनों/रक्त संबंधियों के लिए 'कृषि भूमि के हस्तांतरण के लिए स्टाम्प शुल्क' को घटाकर 2% किया जाएगा।**



- महिला किसानों को पुरुष किसानों की तरह पूर्ण अधिकार/समर्थन और मान्यता सुनिश्चित की जाएगी। कृषि परिवारों की मुखिया एकल महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ और सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी।
- **महिलाओं की भूमि का अधिकार और पट्टा दिया जाएगा, पति और पत्नी के नाम पर भूमि का संयुक्त स्वामित्व, और महिला उत्तराधिकारियों के नाम पर भूमि के नामांतरण जैसे उपायों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।**
- **'समाजवादी पेंशन योजना'** जरूरतमंद बीपीएल परिवार की महिलाओं की सहायता के लिए 18000 रुपए सालाना की दर से समाजवादी पेंशन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा।
- **'15000 रु. बीपीएल परिवारों की महिलाओं को प्रसव के समय दिया जाएगा'**
- **'कन्या विद्याधन' योजना- 12वीं पास छात्राओं को एकमुश्त 36000 की राशि दी जाएगी।**
- **'विधवा, विकलांग और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए २ लाख का अनुदान और एक घर दिया जाएगा।'**
- **'एसिड अटैक पीड़िताओं' को पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा।**
- बीपीएल परिवार की महिलाओं को **'फ्री प्रेशर कुकर'** दिया जाएगा।

उद्यमिता और सूक्ष्म उद्यम

- **'स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक'** की स्थापना की जाएगी ताकि महिला कारीगरों और महिला शिल्पकारों को आसान और बिना गारंटी के लोन दिया जा सके। आसान और बिना गारंटी के लोन प्रदान करने के एवज में बैंकों के विश्वास में सुधार करने के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाएगा।
- **'महिला सूक्ष्म उद्यमी'** को इस नीति के तहत विशेष लाभ और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इससे महिला उद्यमियों के लिए एक स्वस्थ इकोसिस्टम विकसित करने में मदद मिलेगी।
- **'महिला स्वयं सहायता समूहों'** पर्यटन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की जाएगी। **पांच साल के भीतर तीन लाख स्वयं सहायता समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य होगा।**



- महिला स्वयं सहायता समूह के साथ कार्यरत रिसोर्स पर्सन को समय सीमा के भीतर पेमेंट सुनिश्चित कराया जाएगा।
- **'सूक्ष्म कामधेनु योजना'** महिला डेयरी ऑपरेटरों के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ सूक्ष्म कामधेनु योजना की शुरूआत की जाएगी।



श्रमिक सशक्तिकरण



समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए एक उज्ज्वल, सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक भविष्य की शुरुआत करेगी। हमारा मिशन निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है:

- सभी कामगारों के लिए सुरक्षित नौकरियां और समृद्धि।
- सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण।
- जाति और धर्म से परे स्वाभिमान।

कामगार रोजगार और अधिकार

'डायल 1890: मजदूर पावरलाइन की स्थापना की जाएगी।' यह उत्तरप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के बाहर कार्यरत प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिए कार्य करेगी।

- **प्रवासी मजदूर कार्ड योजना शुरू की जाएगी।** इस हेल्पलाइन एवं कार्ड के जरिए पूरे उत्तरप्रदेश के श्रमिक सरकार से निम्नलिखित सहायता एवं निदान प्राप्त कर सकेंगे।
 - ➞ कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं
 - ➞ कार्यस्थल पर किसी भी भेदभाव की रिपोर्ट कर सकते हैं
 - ➞ अवैतनिक मजदूरी और दुर्यवहार के लिए उनके नियोक्ता के खिलाफ शिकायतों की रिपोर्ट कर सकते हैं।
 - ➞ कार्यस्थल आदि पर दुर्घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र कानपुर में अठारह नब्बे का मुख्यालय बनाया जाएगा।
- **'समान कार्य के लिए समान वेतन'** को वैधानिक अधिकार बनाया जाए। इस कानून के तहत महिलाओं को भी उनके पुरुष समकक्षों के समान वेतन मिलेगा।



- **'अकुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा की जाएगी** और इसे राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाया जाएगा।'
- **लेबर सेस को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।** इस फंड को श्रमिकों के कल्याण के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।
- निश्चित अवधि के मजदूरों यानी ठेका मजदूरों को बिना किसी अपवाद के सभी क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों में उनके रोजगार की अवधि के लिए स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाएगा।
- **'समाजवादी पार्टी सरकार अनुबंध टेम्प्लेट का मानकीकरण करेगी'** जिसका पालन करने की आवश्यकता होगी और ऐसे श्रमिकों को काम पर रखने के दौरान सभी ठेकेदारों / नियोक्ताओं द्वारा एक सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा।
- **'सफाई कर्मचारियों'** को सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाएगी जहां संभव हो और जहां नहीं, उन्हें उनके अनुबंध की अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन और लाभ दिए जाएंगे।
- **'शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम' लाया जाएगा इसके माध्यम से युवा पुरुषों और महिलाओं की मदद की जाएगी।** जब तक वे स्थाई नौकरी/व्यवसाय प्राप्त करने में सक्षम न हो जाते हैं तब तक उनकी न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाएगी ।
- सभी शहरों में **'समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर'** स्थापित किए जाएंगे। यहां गरीब श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों और बेघरों को रियायती दर पर भोजन एवं राशन की व्यवस्था की जाएगी। यहां पर १० रुपए में **'समाजवादी थाली'** की व्यवस्था की जाएगी।
- **'मैन्युअल कचरा प्रबंधन को समाप्त कर दिया जाएगा और कचरा संचालकों को अन्य कार्यों के लिए कुशल मशीनों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।'**
- **'महिला श्रम बल भागीदारी (एफएलएफपी)'** समाजवादी सरकार की प्राथमिकता होगी।
- 50 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों में **'महिला शौचालय और केश अनिवार्य'** किए जाएंगे।



- 'निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल स्थापित किए जाएंगे'।
- श्रमिकों को साइकिल वितरित करने के लिए योजना लाई जाएगी।

प्रवासी मजदूर

- 'सभी बड़े शहर जिनमें उत्तरप्रदेश के प्रवासी श्रमिक मौजूद हैं वहां यूपी भवन का निर्माण कर रियायती दर पर डॉरमेट्री आवास दिया जाएगा।
- प्रवासी कामगारों के लिए 'राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी' की शुरुआत की जाएगी।
- 'प्रवासी कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी' शुरू की जाएगी।
- ऑटो रिक्शों की परमिट फीस को युक्तिसंगत किया जाएगा।

कारीगर/कामगार

- 'कारीगर/कर्मचारी पेंशन' वृद्ध महिलाओं, पुरुषों और विकलांगों को प्रति वर्ष 18000 रुपए पेंशन के रुपए में दिए जाएंगे।
- 'कारीगर/श्रमिक बीमा क्षतिपूर्ति' राशि रु. 10 लाख सुनिश्चित कि जाएगी।
- वार्षिक आधार पर आय में सुधार के लिए सर्वेक्षण और सुझाव देने के लिए 'कार्यकर्ता/कारीगर आय और कल्याण आयोग', यह आयोग गरीबी रेखा से नीचे के कामगार परिवारों के लिए 'जीवित मजदूरी योजना' भी विकसित करेगा।

श्रम कानून सुधार

'कुछ श्रम कानूनों से अस्थायी छूट अध्यादेश, 2020' जो उत्तर प्रदेश में अधिकांश श्रम कानूनों को 3 साल की अवधि के लिए लागू करने योग्य नहीं बनाता है, क्योंकि यह श्रम विरोधी और असंवैधानिक है। 'समाजवादी सरकार श्रमिकों और उद्यमियों के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने के लिए तर्कसंगत और श्रमिक अनुकूल कानून लाएगी।' उत्तर प्रदेश में 'संघ श्रम संहिता' लागू नहीं होगी



इन कठोर प्रावधानों को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। 100-कर्मचारियों की सीमा बरकरार रखी जाए और हड़ताल के लिए दो सप्ताह की अग्रिम सूचना की आवश्यकता केवल जनोपयोगी सेवाओं तक ही सीमित रखी जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ

‘समाजवादी सरकार नौकरियों और आरक्षण की रक्षा के लिए राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में पुनर्गठन और पुनर्निवेश करेगी।’



कानून व्यवस्था



नीति

- 'राज्य कानून व्यवस्था नीति-2022' के द्वारा मजबूत, उदार और उत्तरदायी पुलिस प्रणाली विकसित की जाएगी। यह अधिक मानवीय और जनता के अनुकूल वातावरण में उत्कृष्टता पैदा करने पर विशेष जोर देगी।
- समाजवादी पार्टी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक विशेषकर 'महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों' के प्रति होने वाले 'संगठित अपराध' और 'हेट क्राइम' के खिलाफ 'जीरो टालरेंस' की नीति का पालन करेगी।
- 'स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो' राज्य में अपराध पर नज़र रखने के लिए स्थापित किया जाएगा। क्राइम कंट्रोल की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का प्रयोग कर पुराने डेटा को डिजिटाइज किया जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर

- 'राज्य के सभी पुलिस थानों में सुविधाओं और सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा ताकि पुलिस का मनोबल बढ़े और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिले।'
- 'सभी पुलिस थानों में हाइटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा।'
- सीएसआर फंडिंग मॉडल के तहत सभी प्रमुख शहरों में नए थाने बनाए जाएंगे।
- 'साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए सभी जिलों में साइबर युनिट स्थापित की जाएगी।'



मानव संसाधन विकास

- पुलिस बल में थाना स्तर पर रिक्तियों और क्षमताओं का विश्लेषण किया जाएगा और मानदंडों के अनुसार रिक्तियों को पूरा किया जाएगा।
- **'सरकार बनने के एक साल के भीतर यूपी पुलिस में सभी रिक्तियों को पूरा किया जाएगा।'**
- **'पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि महिलाओं की स्वतंत्र 'वूमन पुलिस युनिट' स्थापित की जा सके।'**
- पुलिस सेवा में नई भर्ती के बाद ट्रेनिंग अनिवार्य होगी एवं सेवारत कर्मियों के लिए मिड करियर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।
- पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजों को उच्चिकृत कर उनका बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोरेंसिक टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, जांच तकनीक जैसे संसाधनों से युक्त किया जाएगा।
- पुलिस कर्मियों को उनकी सेवा के दौरान पदोन्नति के लिए तीन मौके दिए जाएंगे।
- साप्ताहिक अवकाश के साथ पुलिस के काम के घंटे तय किए जाएंगे।
- कनिष्ठ पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपद के नजदीक नियुक्ति की अनुमति दी जाएगी।
- पुलिस बल के लिए आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा”
- ग्राम चौकीदार एवं होमगार्ड्स के वेतन को युक्तिसंगत किया जाएगा।



सूचना और प्रौद्योगिकी

- 'सरकार बनने के एक साल के अंदर सभी गांवों एवं शहरों में 'सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन सर्विलांस' सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इन्हें डायल 100/112 से लिंक किया जाएगा ताकि नजदीकी रिस्पांस व्हीकल के जरिए ऑटोमेटिक मॉनीटरिंग कर रिस्पांस दिया जा सके।'
- 'यूपी-100/112' की समीक्षा कर इसे टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जाएगा और पूरे प्रदेश में रिस्पांस सिस्टम को दुबारा से 15 मिनट के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
- 'वूमन पॉवर लाइन 1090' को मजबूत किया जाएगा और ईमेल और व्हाट्सएप द्वारा एफआईआर फाइल की सुविधा दी जाएगी।
- क्राइम पैटर्न के पूर्वानुमान और उसके प्रभावी रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा।
- 'यूपी के एनआरआई के लिए यूपी एनआरआई हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी।'

लोककल्याण

- 'सीएम जन सुरक्षा सेल' का गठन किया जाएगा, ताकि अपराध के बारे में शीघ्र पता लगाकर तत्काल न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
- 'समाजवादी पार्टी की सरकार सभी थानों एवं तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी।'
- सरकार बनने के लिए तीन माह के भीतर 'पब्लिक प्रासीक्यूटर' की भर्ती की जाएगी।
- सभी पब्लिक प्रासीक्यूटर की ट्रेनिंग और उनकी परफार्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष एकेडमी की स्थापना की जाएगी।
- 'स्पेशल वूमन सेल' महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की निगरानी एवं रोकथाम के लिए डीजीपी की अगुवाई में गठित किया जाएगा।



- 'खाद्य और दवाओं में मिलावट के प्रति जीरो टॉलरेंस' की नीति का पालन किया जाएगा।
- 'जमीन कब्ज़ा जैसे अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस' की नीति का पालन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों को कब्जों से मुक्त कराया जाएगा।



पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर



जल

- **'स्वच्छ पेयजल मिशन'** तालाबों, वेटलैंड और प्राकृतिक धाराओं और वर्षा जल संचयन चैनलों को पुनर्जीवित करने सहित कई कदम उठाकर सभी गांवों और शहरों में पीने योग्य पानी की व्यवस्था की जाएगी।
- **'उत्तर प्रदेश नदी मिशन'** जलग्रहण बेसिन में प्रदूषण और भूमि उपयोग परिवर्तन के खिलाफ निवारक उपाय करके नदियों में अनुपचारित सीवेज और कचरे के प्रवाह को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में सभी नदियों और धाराओंका पुनरुद्धार किया जायेगा।
- सूख चुकी नदियों और जलाशयों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा

सड़कें

- हम संकल्पबद्ध हैं के पुरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क समयबद्ध तरीके से तैयार कर जनता को समर्पितकरेंगे। **समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का ऐसा व्यापक नेटवर्क बनाएगी ताकि प्रदेश के किसी भी हिस्से से साढ़े पांच घंटे में लखनऊ पहुंचा जा सकेगा।**
- **'2024 तक सभी जिलों में फोर लेन सड़क नेटवर्क और जिला मुख्यालयों के साथ कनेक्टिविटी'** की व्यवस्था की जाएगी।
- **'सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा और आंतरिक गांव की सड़कों को आरसीसी से जोड़ा जाएगा।'**
- उत्तर प्रदेश के समस्त गावों को **'साइकिल हाईवे नेटवर्क'** से जोड़ा जाएगा।

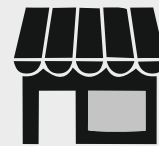


बिजली

- 'थर्मल, बायो और सौर ऊर्जा के संतुलित मिश्रण के साथ उत्तर प्रदेश को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।' 'विद्युत वितरण नेटवर्क की मरम्मत और लाइन लॉस को निर्धारित मानदंडों के भीतर लाया जाएगा।
- 'सभी गांवों को घरेलू और कृषि/व्यावसायिक फीडर लाइनों से जोड़ा जाएगा,'
- 'सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।'
- 'राज्य भर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।'
- वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए खरीदी गई भूमि पर 100% स्टांप शुल्क छूट।'
- 'सौर ऊर्जा उत्पादन' नई बिजली परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र होगा।'
- 'सभी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को 'गीगा फैक्ट्री' सक्षम बिजली उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।'
- 'रूफ टॉप सोलर यूनिट्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा और नेट मीटरिंग को फिर से शुरू किया जाएगा'
- कृषि सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी।
- 'घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त की जाएगी'
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 'कोल्ड स्टोरेज/ कोल्ड चेन और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बिजली शुल्क' को युक्तिसंगत किया जाएगा।
- 'एग्रीकल्चर वेस्ट और सॉलिड वेस्ट से बिजली उत्पादन इकाइयों' की स्थापना गाँव के समूहों में की जाएगी ताकि किसान पराली जलाने से बच सकें, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ ही ठोस अपशिष्ट का निपटारा होगा और इससे उत्पन्न बिजली क्लस्टर समुदाय के लिए मुफ्त होगी।
- 'डिस्कॉम्स का पुनर्गठन किया जाएगा और उन्हें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाया जाएगा ।
- 'सभी गांवों एवं शहरों में फ्री वाई-फाई जोन्स बनाए जाएंगे।'



सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम



'विकास का इंजन'

समाजवादी पार्टी सरकार राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करेगी और इसे 'विकास के इंजन' के रूप में बदलेगी ताकि राज्य में 2027 तक एक करोड़ नौकरियों का सृजन हो सकेगा।

पॉलिसी, प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

- 'एमएसएमई नीति 2022' राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगी और 'इंस्पेक्टर राज' के उत्पीड़न को समाप्त कर अनुमतियों/लाइसेंसें के समयबद्ध ऑनलाइन नवीनीकरण को सुनिश्चित करेगी।
- 'टाइम बाउंड सिंगल विंडो एवं सिंगल रूफ क्लीयरेंस' इस नीति के तहत नई एवं पुरानी इकाइयों को सुनिश्चित किया जाएगा।
- 'महिला सूक्ष्म उद्यमी' को इस नीति के तहत विशेष लाभ और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इससे महिला उद्यमियों के लिए एक स्वस्थ इकोसिस्टम विकसित करने में मदद मिलेगी।
- 'औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को एकमुश्त भुगतान विकल्प के साथ फ्रीहोल्ड बनाया जाएगा'
- 'भूमि विकास शुल्क माफ किया जाएगा' ग्रीन-फील्ड परियोजनाओं के लिए भूमि विकास शुल्क को माफ किया जाएगा।
- 'माइक्रो सेक्टर को रिक्लासीफाइड किया जाएगा और एक विशेष माइक्रो इण्टप्राइजेज सेल बनाया जाएगा' ताकि सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके।
- 'बदहाल इकाइयों का पुनर्वास' इस नीति में बदहाल इकाइयों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा।



- **'यूपी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल गठित'** कर राज्य की सभी औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर

- **'हाइटेक स्पेशल एक्सपोर्ट जोन'** कृषि और हस्तशिल्प व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे एवं पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे स्थापित किया जाएगा।
- **'इंफ्रास्ट्रक्चर-राज्य'** की सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना जैसे सड़कें, वेस्ट मैनेजमेंट, वैकल्पिक पावर ग्रिड, ग्रीन टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबल आवास और जल संरक्षण को पुनर्जीवित एवं विकसित किया जाएगा।
- **'ग्रामीण औद्योगिक हब'** स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने के लिए पिछड़े जिलों में विकसित किए जाएंगे।
- 'उद्योगों में उपयोग की जाने वाली बिजली की दरों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

नवाचार/इनोवेशन

- **'टेक इनक्यूबेशन सेंटर'** स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे।
- हरित और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी की ओर शिफ्ट होने वाले उद्योगों को एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- **'बायो एथेनॉल/पर्यावरण के अनुकूल ईंधन'** अन्य प्रदूषण कारी ईंधनों के बजाय पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।



वित्त

- **'स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक'** की स्थापना की जाएगी ताकि सूक्ष्म उद्यमियों, कारीगरों और शिल्पकारों को आसान और बिना गिरवी रखे लोन दिया जा सके। इन ऋणों में उचित मोरेटोरियम पीरियड भी शामिल रहेगा। आसान और बिना गिरवी रखे लोन प्रदान करने के एवज में बैंकों के विश्वास में सुधार करने के लिए एक **'क्रेडिट गारंटी फंड'** भी होगा।

मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सहयोग

- **'पारंपरिक एमएसएमई क्लस्टर'** उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में बनाया जायेंगे। जहां केंद्रीय सुविधा केंद्र, फ्लैट दर पर बिजली आपूर्ति, कच्चे माल के बैंक, डिस्प्ले मार्ट और ई-कॉमर्स सक्षम विपणन व्यवस्था होगी। इन क्लस्टरों को राज्य में **'कारीगर बाजार'** स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- '20 कारीगर सहयोग समूह (आईपीओ) हर जिले में स्थापित किया जाएगा यानि की पूरे उत्तरप्रदेश में 1500 समूह।
- इस व्यवस्था से कारीगरों को **'इकॉनमी ऑफ़ स्केल'** एवं अच्छा भाव मिलेगा।
- **'कारीगर स्वयं सहायता समूह'** पर्यटन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कारीगर स्वयं सहायता ग्रुप स्थापित किए जाएंगे। यह बिचौलियों को हटाकर वास्तविक कारीगरों को अधिकतम रिटर्न देने में मदद करेगा।
- स्थानीय उद्योगों से मूल्य वरीयता प्रणाली एवं अनुबंध खरीद प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाएगा।

सामाजिक कल्याण

- **'कारीगर/कर्मचारी पेंशन'** असंगठित क्षेत्र की वृद्ध महिलाओं, पुरुषों, विकलांगों को प्रति वर्ष 18000 रुपए पेंशन प्रदान की जाएगी।
- **'कारीगर/श्रमिक बीमा क्षतिपूर्ति'** के लिए 10 लाख रुपए सुनिश्चित किया जाएगा।



- **'कार्यकर्ता/कारीगर आय और कल्याण आयोग'** गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कामगारों के परिवारों की आय में सुधार और सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा। यह आयोग बीपीएल परिवारों के लिए **'लिविंग वेज स्कीम'** के लिए दिशा निर्देश प्रदान करेगा।

शहर आधारित व्यवस्था

फिरोजाबाद

- ⌚ **'ग्लास सिटी एवं कांच अनुसंधान केंद्र'** स्थापित किया जाएगा ताकि यहां स्थित इकाइयों को वैश्विक प्रौद्योगिकी इनपुट मिल सके और वे निर्यात बाजार में सफलता हासिल कर सकें।
- ⌚ **'गैस आपूर्ति उद्योगों'** को उनकी वास्तविक जरूरत के मुताबिक गैस सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी।
- ⌚ कांच उद्योग में कार्यरत कारीगरों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल तय कर उन्हें विकसित और क्रियान्वित किया जाएगा।

मुरादाबाद

- ⌚ मुरादाबाद शहर के चारों तरफ 40 किलोमीटर के एरिया को औद्योगिक विकास क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- ⌚ स्पेशल इकनॉमिक जोन के अंदर कच्चा माल बैंक विकसित किया जाएगा।
- ⌚ **'ई-कचरे के प्रबंधन के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र'** की स्थापना की जाएगी। उपर्युक्त व्यवसाय में लगे सूक्ष्म उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी विकल्प प्रदान किए जाएंगे।



प्रयागराज

- 'प्रयागराज के लिए पर्यटन को चैम्पियन उद्योग' के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तर्ज पर 'एजुकेशन टूरिज्म' विकास और प्रबंधन योजना लागू की जाएगी।

कन्नौज

- 'अरोमा पार्क' के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा।
- 'कच्चा माल बैंक' विकसित किया जाएगा।
- परफ्यूमरीज के लिए गैस आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। जो इस उद्योग के लिए बेहतर भी है।
- 'परफ्यूम टेक्नोलॉजी कोर्स' स्थानीय कॉलेजों में शुरू क्या जाएगा।

सहारनपुर

- 'इंटरनेशनल एक्सपो मार्ट' सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा।

वाराणसी

- 'साड़ी डिजाइन केंद्र' स्थापित किया जाएगा।

कानपुर

- जाजमऊ को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- '२०० एमएलडी समर्पित ईटीपी' को जाजमऊ में स्थापित किया जाएगा।
- 'प्रौद्योगिकी और कौशल विकास केंद्र' की स्थापना की जाएगी।
- उपर्युक्त शहरों की भांति ही आगरा, अलीगढ़, मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, झांसी में भी शहर आधारित उद्योगों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी।



शहरी विकास



- समाजवादी सरकार '**सतत शहरी विकास**' के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेगी। जिससे उत्तर प्रदेश के '**अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान एवं रचनात्मक एकीकरण**' को बल मिल सकेगा।

जल

- **स्वच्छ पेयजल मिशन** 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले सभी प्रमुख शहरों में 24X7 जल आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा।

वर्षा जल संरक्षण एवं जल जमाव की समस्याओं का निदान

- सभी प्रमुख शहरों में बारिश के जल संरक्षण को अनिवार्य किया जाएगा। जल जमाव, बाढ़ एवं जल निकासी समस्या से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपायों को अपनाया जाएगा।

सड़क

- बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेस वे को 2024 तक पूरा कर आवागमन के लिए जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
- सभी जिलों को फोर-लेन सड़कों के नेटवर्क से साल 2024 तक जोड़ दिया जाएगा।
- शहरों के भीतर सभी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा एवं जहां जरूरत होगी वहां फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा।
- सभी प्रमुख शहरों में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस युक्त टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाएगी।



इलेक्ट्रिसिटी

- उर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसमें थर्मल, बायो और सोलर पॉवर के संतुलित मिश्रण को ध्यान में रखा जाएगा।
- पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की दिशा में आ रही समस्याओं को दूर कर लाइन लॉस को कम किया जाएगा।
- **पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।**
- वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन के प्लांट लगाने के लिए खरीदी जा रही जमीनों को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा।
- सोलर एनर्जी सेक्टर को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में वरीयता के क्रम में सबसे ऊपर रखा जाएगा।
- 'सभी ग्रीनफील्ड औद्योगिक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए गीगा फैक्ट्री सक्षम बिजली उत्पादन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।
- रूफ टॉप सोलर यूनिट्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा और amp, net metering को दोबारा शुरू किया जाएगा।
- **'घरेलू इस्तेमाल के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।'**

मेट्रो

- 'आगरा, इलाहाबाद, कानपुर और अन्य सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट' को साल 2024 तक परिचालित किया जाएगा।

हवाई यातायात

- 'यूपी के प्रमुख शहरों को हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर सेवाओं से जोड़ा जाएगा'



रिवर फ्रंट डेवलपमेंट

- 'आगरा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बरेली, हिंडन, मथुरा और वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाएगा।

सिटी फारेस्ट और पार्क

- सभी जिलों के शहरों में सिटी वन एवं पार्क विकसित किए जाएंगे।'

सार्वजनिक पुस्तकालय

- 'लखनऊ और प्रयागराज में अत्याधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे'

ग्रीनफील्ड टाउनशिप

- आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दो नई ग्रीन-फील्ड टाउनशिप विकसित की जाएगी।

प्रदूषण नियंत्रण

- 'शहरी प्रदूषण' से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए शहर विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित किया जाएगा।
- 'इलेक्ट्रिक वाहन' की खरीद से उपभोक्ताओं को आकर्षित कर शहरी प्रदूषण की समस्या से निपटा जाएगा।

वेस्ट मैनेजमेंट

- 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम' 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में लागू की जाएगी।
- 'सभी शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिचालित किए जाएंगे' 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसी भी अनुपचारित सीवेज को नदियों में प्रवाहित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 'वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र' को प्रोत्साहन दिया जाएगा।



कम लागत वाले शहरी आवास और स्लम उन्मूलन

- 'सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा।'
- 'ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट' की स्थापना की जाएगी। इससे शहरी उत्तर प्रदेश में कम लागत वाले पर्यावरण हितैषी भवन निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।
- 'ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन' लाया जाएगा। सभी प्रमाणित भवनों को पांच साल के लिए हाउस टैक्स से छूट दी जाएगी।

विरासत, शहर संरक्षण एवं एडाप्टिव रीयूज पॉलिसी को अधिनियमित किया जाएगा'

- आगरा, लखनऊ और वाराणसी को विरासत शहर घोषित किया जाएगा और समाजवादी सरकार इसके लिए यूनेस्को प्रमाणन प्राप्त करने का प्रयास करेगी।'
- समाजवादी सरकार सभी बड़े शहरों को डी-कंजैस्ट कर पुराने सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण करेगी।



उद्योग



समाजवादी पार्टी सरकार औद्योगिक क्षेत्र की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करेगी, ताकि यह सेक्टर 'विकास के इंजन के रूप' में कार्य कर रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सके।

पॉलिसी, प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

- 'औद्योगिक नीति 2022' राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगी और 'इंस्पेक्टर राज' के उत्पीड़न को समाप्त कर अनुमतियों/लाइसेंसें के समयबद्ध ऑनलाइन नवीनीकरण को सुनिश्चित करेगी। यह पॉलिसी नए रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगी।
- ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए '**लैंड बैंक**' की स्थापना की जाएगी।
- '**चैम्पियन इंडस्ट्री**' राज्य भर में समान विकास के लिए हर संभाग में स्थापित की जाएगी।
- '**सिंगल रूट, सिंगल विंडो और सिंगल रूफ क्लीयरेंस**' नई इकाइयों की स्थापना को इस नीति के तहत सुनिश्चित किया जाएगा।
- 'औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को फ्रीहोल्ड' बनाकर एकमुश्त भुगतान का विकल्प लाया जाएगा।
- ग्रीन-फील्ड परियोजनाओं के लिए '**भूमि विकास शुल्क माफ किया जाएगा**'।
- '**सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स**' को इस नीति के द्वारा पुनर्स्थापित किया जाएगा।
- '**यूपी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन**' होगा ताकि राज्य में पुराने और नए सभी उद्यमों को सुरक्षा प्रदान हो सके।



इंफ्रास्ट्रक्चर

- 'कृषि और हस्तशिल्प व्यवसायों के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे हाईटेक स्पेशल एक्सपोर्ट जोन स्थापित होंगे।'
- ईस्टर्न रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किये जाएंगे।
- राज्य के सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, वेस्ट मैनेजमेंट, वैकल्पिक पावर ग्रिड, हरित तकनीक, कम लागत वाले आवास और जल संरक्षण को पुनर्जीवित किया जाएगा।
- 'ग्रामीण औद्योगिक हब' के तहत स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने के लिए पिछड़े जिलों को विकसित किया जाएगा।
- 'औद्योगिक उपयोग के लिए बिजली दरों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

नवाचार/इनोवेशन

- 'टेक इनक्यूबेशन सेंटर' स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए स्थापित किए जाएंगे। 'एकमुश्त प्रोत्साहन' हरित और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक की ओर जाने वाले उद्योगों को दिया जाएगा। 'उद्योगों को बायो एथेनॉल/पर्यावरण के अनुकूल ईंधन' को अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों के स्थान पर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।



समाजवादी डिजिटल पॉलिसी



- समाजवादी पार्टी सरकार आईटी सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करेगी, ताकि यह सेक्टर 'विकास के इंजन के रूप' में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके।

ग्रामीण विकास

- 'स्मार्ट विलेज क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी' नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से राज्यभर में 'स्मार्ट विलेज क्लस्टर' स्थापित किए जाएंगे, ये क्लस्टर बड़े पैमाने पर डेटा मैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुमानों पर आधारित होंगे। प्रत्येक क्लस्टर में निम्नलिखित विकसित करने के लिए स्थानीय लेकिन सस्टेनेबल प्रौद्योगिकी आधारित समाधान होंगे
- इंफ्रास्ट्रक्चर - सड़कें, वेस्ट मैनेजमेंट, वैकल्पिक बिजली ग्रिड, हरित तकनीक कम लागत वाले आवास, जल संरक्षण और हाईस्पीड इंटरनेट
- शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल
- कृषि
- क्षमता निर्माण, कौशल विकास और स्थानीय रोजगार।
- सूक्ष्म उद्यम
- आईटी आधारित ग्रेडिंग, नमी मापन और वजन प्रणाली में निवेश करके 'एपीएमसी'/ मण्डी को मजबूत किया जाएगा।
- कृषि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन लिए 'एग्री टेक इनक्यूबेशन सेंटर' स्थापित किए जाएंगे।



सरकारी व्यवस्था

- ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों/विभागों में मोबाइल-ऑफिस/ई-ऑफिस प्रणाली स्थापित की जाएगी। नई तकनीक से अपडेट करने के लिए मौजूदा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **'स्मार्ट गवर्नमेंट इंटरफेस'** की स्थापना की जाएगी, जिसमें यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ब्यूरो बनाकर सभी उद्योगों के लिए एक छत के नीचे सारी सहायता एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

शिक्षा

- राज्य में 20 लाख छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा
- प्राथमिक स्तर पर सभी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
- **'ऑनलाइन टेली-शिक्षा'** सभी प्राथमिक, माध्यमिक एवं कोचिंग संस्थानों में उपलब्ध कराई जाएगी।
- **'सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी।'**
- स्पेशल कोडिंग लैंग्वेज' राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में कोडिंग भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।

स्वास्थ्य व्यवस्था

- तकनीक आधारित मोबाइल मेडिकल नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
- सभी पीएचसी/एपीएचसी/सीएचसी पर **'ऑनलाइन टेलीमेडिसिन परामर्श और सामान्य चिकित्सा सेवाएं'** उपलब्ध कराई जाएंगी।
- **'108/102 एम्बुलेंस नेटवर्क को आईटी प्रेरित तकनीकी प्लेटफॉर्म में अपग्रेड किया जाएगा'** ताकि रिस्पांस समय 15 मिनट से कम हो।
- महामारी की भविष्यवाणी करने और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित डेटा लर्निंग की स्थापना की जाएगी।



श्रमिक कल्याण

- 'डायल 1890: मजदूर पावरलाइन' की स्थापना की जाएगी। 'यह हेल्पलाइन पूरे उत्तर प्रदेश के श्रमिक एवं प्रवासी श्रमिकों के लिए होगी। ये सरकार से सहायता/शिकायत/निवारण प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

कानून व्यवस्था

- 'सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन सर्विलांस' सरकार बनने के एक साल के भीतर सभी गांवों में स्थापित किया जाएगा। इन्हें डायल 100/112 से लिंक किया जाएगा ताकि नजदीकी रिस्पांस व्हीकल के जरिए त्वरित मॉनीटरिंग और रिस्पांस दिया जा सके।'
- 'वूमन पॉवर लाइन 1090' को मजबूत किया जाएगा। ईमेल और व्हाट्सएप द्वारा शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- क्राइम पैटर्न और उसके प्रभावी रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा
- 'साईबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे'

पर्यटन

- लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म चैनल्स एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की स्थापना की जाएगी, ताकि बिचौलियों के बजाय वास्तविक कारीगरों को अधिकतम लाभ मिल सके।
- लेसर नोन स्मारकों की गूगल द्वारा जियो टैगिंग कराई जाएगी

सहरी विकास

- सभी प्रमुख शहरों में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस युक्त टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाएगी।
- नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 'यूपी के पांच प्रमुख शहरों में आईटी हब विकसित किए जाएंगे।'
- 'सभी गांवों एवं शहरों में वाई फाई जोन विकसित किए जाएंगे।'

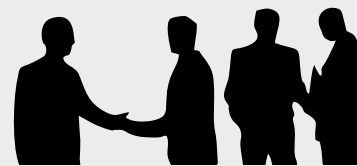


इनोवेशन

- राज्य में टेक 'इनव्यूबेशन सेंटर' को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे स्टार्टअप्स एवं रोजगार सृजन में हेल्दी ईकोसिस्टम विकसित हो सके।



व्यापार एवं वाणिज्य



- व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।
- व्यापारी हेल्पलाइन/व्यापार बंधु की स्थापना की जाएगी इसके जरिए व्यापारियों की सुरक्षा कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा।
- व्यापारियों की दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख की जाएगी।
- रेहड़ी, खोके एवं छोटे व्यापारियों एवं प्रत्येक जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा (मेडीक्लेम) प्रदान किया जाएगा।
- 'ई-कॉमेर्स के कुप्रभाव से बचाने के लिये छोटे व्यापारियों के हित में नीतियाँ बनाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।'
- 'स्थानीय निकायों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग की संपत्तियों पर लगाये जा रहे निकाय कर को व्यावहारिक बनाकर युक्तिसंगत बनाया जाएगा।'
- 'स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक' की स्थापना की जाएगी ताकि सूक्ष्म उद्यमियों एवं व्यापारियों को आसान और बिना गिरवी रखे लोन दिया जा सके। इन ऋणों में उचित मोरेटोरियम पीरियड भी शामिल रहेगा। आसान और बिना गिरवी रखे लोन प्रदान करने के एवज में बैंकों के विश्वास में सुधार करने के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड भी होगा।



जल, पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण



जल और नदियाँ

- **'स्वच्छ पेयजल मिशन'** प्रत्येक गांव को साफ और स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण तालाब, वेटलैंड और प्राकृतिक धाराओं और वर्षा जल संचयन चैनलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। 'महिलाओं के साथ जुड़ाव' मिशन का एक अभिन्न अंग होगा। यह मिशन ग्रामीण उत्तर प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करेगा।
- **'ग्रामीण जल शोधन संयंत्र'** सभी गांवों में ग्रामीण जल शोधन संयंत्र स्थापित कर घरेलू अपशिष्ट जल को उपचारित किया जाएगा। और इस जल का प्रयोग सिंचाई के लिए हो सकेगा साथ ही भू-जल प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
- **'उत्तरप्रदेश रिवर मिशन' उत्तरप्रदेश की नदियों और प्राकृतिक धाराओं के पुनरुद्धार के लिए इस मिशन को संचालित किया जाएगा।** जलग्रहण बेसिन एवं नदियों में गिरने वाले गैर परिष्कृति सीवेज और कचरे के प्रवाह को रोककर सभी नदियों को स्वच्छ बनाया जाएगा। सूख चुकी नदियों और जलाशयों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
- **'नदी मित्र' योजना** उत्तर प्रदेश में नदियों और उनके संरक्षण में सहायता प्रदान करने के लिए किसानों और नदियों के किनारे रहने वाले स्थानीय समुदायों को डीबीटी द्वारा मासिक स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा ताकि यूपी नदी मिशन के साथ इस योजना को एकीकृत किया जा सके।



समुदाय और शिक्षा

- **'अनिवार्य पर्यावरण शिक्षा'** सभी प्राईमरी, सेकेंडरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा ताकि आने वाली युवा पीढ़ी के मन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सम्मान पैदा हो सके।
- **'विशेष मान्यता और वित्तीय अनुदान'** प्रकृति शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्टता के लिए स्कूलों और शिक्षकों को वित्तीय अनुदान दिया जाएगा।
- **'पर्यावरण मित्र और सारस मित्र योजना'** इस योजना के अंतर्गत किसानों और स्थानीय निवासियों को मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो वनों, वेटलैंड, नदियों, घास के मैदान और उसके आसपास वन्यजीव संरक्षण, आवास संरक्षण में वन विभाग की सहायता करते हैं।
- **'स्मार्ट किसान सहायक योजना'** के तहत 5 लाख युवाओं (कृषि प्रसार और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं) को प्रशिक्षित और नियोजित कर उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। स्थाई और पर्यावरण के अनुकूल ई-कॉमर्स आधारित कृषि पद्धति को अपनाकर यूपी को **'क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर'** प्रदेश के रूप में विकसित किया जाएगा।
- नदियों के किनारे बसे ग्रामीण समुदायों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।
- **नदियों के किनारे बसे समुदायों के निवास के लिए 'विशेष आवास योजना' लाई जाएगी।**
- **'सामुदायिक वन अधिकार'** नीति को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा ताकि यहां का समुदाय प्रदेश के निर्दिष्ट वन क्षेत्रों एवं संसाधनों के प्रबंधन एवं सुरक्षा का हिस्सा बन सकेंगे।



प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन

- **'हरित व्यवसाय'** के लिए उद्यमिता विकास नीति लाई जाएगी। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और राज्य वित्त पोषण की व्यवस्था की जाएगी।
- **'शहरी प्रदूषण'** से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा और शहर आधारित विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार कर उसका कार्यान्वयन किया जाएगा।
- **'इलेक्ट्रिक वाहन'** की खरीद पर टैक्स में छूट की व्यवस्था की जाएगी इससे न सिर्फ उपभोक्ता आकर्षित होंगे बल्कि शहरी प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
- **'एग्रीकल्चर वेस्ट से बिजली उत्पादन यूनिट्स'** को स्थापित किया जाएगा इससे किसान पराली जलाने से बचेंगे और वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने में आसानी होगी।
- **'सॉलिड वेस्ट से बिजली उत्पादन यूनिट्स'** ग्रामीण क्लस्टर में स्थापित की जाएगी। इन इकाइयों से उत्पन्न बिजली उस विशेष क्लस्टर के लिए मुफ्त होगी।
- **'कार्बन एक्सचेंज'** की स्थापना की जाएगी जिससे राज्य में हरित उद्यमों, जैविक किसानों और बागान मालिकों को कार्बन डॉलर/क्रेडिट अर्जित करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।
- **'ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट'** की स्थापना की जाएगी। यह ग्रामीण और शहरी उत्तर प्रदेश में कम लागत वाले पर्यावरण के अनुकूल भवन निर्माण को बढ़ावा देगा।
- **'ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन'** लाया जाएगा और इससे प्रमाणित भवनों को पांच साल के लिए हाउस टैक्स से छूट दी जाएगी।

कृषि वानिकी

- **'कृषि वानिकी नीति'** का प्रयोग कर कृषि एवं जैवविविधता के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। वन एवं वृक्षावरण को (10 लाख हेक्टेयर) यानि राज्य के 15% क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे **'10 लाख नौकरियां सृजित होंगी।'**



वन्यजीव संरक्षण

- 'वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक आवास प्रबंधन सेवा' को सुधारने के लिए 'विश्व की बेहतरीन प्रैक्टिस' से जोड़ा जाएगा। इसके लिए लैटेस्ट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद ली जाएगी।
- 'हाथियों और बाघों के लिए संरक्षित वन गलियारा' उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पुनर्स्थापित किया जाएगा। यह पूर्व में नेपाल सीमा से लेकर पश्चिम में शिवालिक पहाड़ियों तक विस्तृत है।
- 'ग्रीन टास्क फ़ोर्स एवं बाघ/वन्यजीव सुरक्षा बल' का गठन किया जाएगा। राज्य के सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को इसमें नौकरी दी जाएगी।
- 'यूपी वन्यजीव अनुसंधान एवं संरक्षण संस्थान' की स्थापना की जाएगी।

आजीविका उत्पादन और इको टूरिज्म

- 'यूपी इको-टूरिज्म पॉलिसी एंड बोर्ड' हितधारकों के प्रतिनिधित्व के साथ इसकी स्थापना की जाएगी, विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी।
- 'इकोटूरिज्म प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना की जाएगी।
- 'समुदाय आधारित इको-टूरिज्म क्लस्टर' बनाए जाएंगे और दुनिया भर के विशेषज्ञों की मदद से आवश्यक कौशल विकास, राज्य वित्त पोषण और विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- 'साइकिल हाइवे नेटवर्क' पूरे यूपी में साइकिल हाइवे नेटवर्क को स्थापित किया जाएगा।



पर्यटन एवं संस्कृति



- **‘पर्यटन विकास’** राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाएगा। क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना होती है। एसोचैम की साल 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी सरकार की प्रोग्रेसिव टूरिज्म पॉलिसी के कारण टूरिज्म सेक्टर में १० लाख लोगों को रोजगार मिला एवं इसी अवधि में करीब 10 हजार करोड़ रुपए का निजी निवेश भी उत्तर प्रदेश में आया।

पर्यटन नीति 2022

- एक प्रगतिशील और दूरदर्शी दस्तावेज होगा सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस डॉक्यूमेंट को सरकार बनने के प्रथम तीन माह के भीतर ही लाया जाएगा।

टूरिज्म रिकवरी पैकेज

- टूरिज्म सेक्टर और इससे जुड़े प्रोफेशनल्स को राहत पहुंचाने के लिए १००० करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया जाएगा। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सभी हितधारकों का प्रभावी मूल्यांकन करते हुए डीबीटी के माध्यम से प्रोफेशनल्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे गाइड, ड्राइवर, तांगा चालक और कारीगरों को एक मुश्त वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- टूरिस्ट गाइड एवं फ्रंटलाइन टूरिज्म प्रोफेशनल्स और वर्कर्स के लिए ग्रुप इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम' शुरू की जाएगी।
- पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास, सिंचाई और वन जैसे विभागों के बजट में पर्यटन संबंधी उपशीर्षों को शामिल करके पर्यटन बजट को बढ़ाया जाएगा।



इंफ्रास्ट्रक्चर

- आगरा, लखनऊ और वाराणसी में Hospitality & Tourism Training Institute स्थापित किया जाएगा।
- प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
- लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म चैनल्स एवं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से Self Help Groups की स्थापना की जाएगी, ताकि बिचौलियों के बजाय वास्तविक कारीगरों को अधिकतम लाभ मिल सके।
- राज्य के सभी स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों की लाइटिंग की जाएगी जिससे रात्रिकाल में उनकी शोभा बढ़ेगी।
- आगरा और इलाहाबाद में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट मॉडल लागू किया जाएगा।
- **लखनऊ, आगरा और वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के 'कन्वेंशन सेंटर' स्थापित किए जाएंगे।**
- आगरा में एयरपोर्ट की 'सिविल टर्मिनल बिल्डिंग' का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा।
- बौद्ध सर्किट सहित प्रमुख पर्यटन सर्किटों में 'हेलीकाप्टर सेवाएं' शुरू की जाएंगी।
- आगरा में 'गंगा जमुनी तहजीब म्यूजियम' का निर्माण पूरा कराया जाएगा।
- ताजमहल के पीछे सेलिंग शुरू की जाएगी।
- लखनऊ में 'छतर मंजिल म्यूजियम' को विकसित किया जाएगा।
- फतेहपुर सीकरी को प्राकृतिक झील के पुनरुद्धार के साथ हेरिटेज टूरिज्म क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा।
- **मथुरा, वृंदावन और बरसाना में ब्रज संस्कृति युक्त टूरिस्ट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा।**
- बौद्ध सर्किट के बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाएगा।



- 'बुंदेलखंड क्षेत्र को एडवेंचर, वाइल्डलाइफ और हेरिटेज टूरिज्म के लिए विकसित किया जाएगा और कम चर्चित स्थलों की गूगल की मदद से जियो टैगिंग कराई जाएगी।'
- ऑनलाइन टूरिस्ट पास और स्मारक टिकट की व्यवस्था शुरू की जाएगी।
- बैटरी बसों और गोल्फ कार्ट के माध्यम से सभी संरक्षित स्मारकों के लिए **Seamless surface connectivity** सुनिश्चित की जाएगी।
- पूर्वांचल में **भोजपुरी फिल्मइंस्टिट्यूट** बनाया जायेगा।

ब्रांडिंग और प्रमोशन

- हेरिटेज आर्क ब्रांडिंग को फिर से शुरू कर उसे और बेहतर तरीके से प्रमोट किया जाएगा।
- यूपी ट्रैवल मार्ट एवं अन्य यूपी ब्रांड प्रचार कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया जाएगा।
- WTM लंदन, ITB बर्लिन, अरब ट्रैवल मार्ट, एशिया ट्रैवल मार्ट और ब्रिटिश बर्ड फेयर जैसे वैश्विक पर्यटन कार्यक्रमों में हितधारकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को फिर से शुरू किया जाएगा।
- **यश भारती सम्मान को दुबारा शुरू किया जाएगा।**
- जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को नगर सम्मान से नवाजा जाएगा।



अल्पसंख्यक कल्याण



समाजवादी पार्टी सरकार सभी नागरिकों विशेषकर महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ 'हेट क्राइम' के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति का पालन करेगी।

जीवन और संपत्ति की सुरक्षा

- हेट क्राइम प्रिवेंशन एण्ड रिलीफ पॉलिसी लागू की जाएगी इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों, महिलाओं और दलितों के जीवन और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यह पॉलिसी हेट क्राइम और सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम के लिए राज्य समर्थित साधनों पर केंद्रित होगी।
- वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वेक्षण कर उन्हें राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाएगा एवं किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटाया जाएगा चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक।

शिक्षा

- **“स्टेट एजुकेशन पॉलिसी”** आर्थिक बेहतरी की भाषा के रूप में अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- उर्दू और हिंदी को सांस्कृतिक पहचान की भाषा के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। 2027 तक उत्तरप्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य बनाया जाएगा।
- अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों के लिए तहसील स्तर पर कौशल विकास और करियर काउंसिलिंग केंद्र खोले जाएंगे।
- राज्य के मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप फंड की स्थापना की जाएगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु समर्थ हो सकें।
- बड़े शहरों में छात्रों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।



आर्थिक विकास

- **अल्पसंख्यक आय और कल्याण आयोग** की स्थापना की जाएगी। आयोग जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में सालाना सर्वे और सलाह देगा। यह आयोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कारीगरों के जीवन निर्वाह योजना को विकसित करने की दिशा में भी काम करेगा।
- **कारीगरों को सालाना 18000 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी।**
- कारीगर बीमा मुआवजा के तहत 10 लाख रुपये की राशि निर्धारित की जाएगी।
- **कारीगरों और शिल्पकारों को बिना कुछ गिरवी रखे लोन के लिए माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी। बैंक के पास एक क्रेडिट गारंटी फंड होगा।**
- **उत्तरप्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में पारंपरिक एमएसएमई क्लस्टर बनाया जाएंगे। इसके लिए केंद्रीय सुविधा केंद्र, फ्लैट रेट बिजली की आपूर्ति, कच्चा माल, डिस्प्ले मार्ट और ई-कॉमर्स समर्थित कारीगर बाजार बनाए जाएंगे।**
- **भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में 'अर्बन हाउसिंग स्कीम' लाई जाएगी इस योजना के द्वारा उनके मौजूदा आवास को बेहतर कर ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को उच्चिकृत किया जाएगा।**





सहज कुशल और जिम्मेदार सरकार

- ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों/विभागों में मोबाइल-ऑफिस/ई-ऑफिस प्रणाली स्थापित की जाएगी। नई तकनीक से अपडेट करने के लिए मौजूदा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 'सभी पुराने और निष्क्रिय कानूनों और नियमों की समीक्षा की जाएगी' पुराने और गैरजरूरी कानून जो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं हैं उन्हें वापस लिया जाएगा।
- 'सभी सरकारी विभागों के लिए सिंगल ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की जाएगी'
- 'सभी विभागों में 'टाइम बाउंड क्लीयरेंस' को लागू किया जाएगा।'
- 'सभी विभागों में सिटीजन चार्टर की व्यवस्था की जाएगी'
- 'जनता की समस्याओं एवं उनके समाधान हेतु अधिकारी रोज ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।'
- 'भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए तकनीक आधारित हस्तक्षेप की व्यवस्था की जाएगी'
- 'विकास योजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन हेतु कॉल सेंटर आधारित व्यवस्था की जाएगी'
- 'यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंटर आफ गवर्नेंस' को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में बदला जाएगा
- 'सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की पॉलिसी' बनाई जाएगी ताकि उनमें कौशल को और मजबूत किया जा सके



- 'लिटिगेशन पॉलिसी' की स्थापना की जाएगी ताकि राज्य में लिटिगेशन में कमी आ सके
- 'न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बिल्डिंग' के निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा

सरकारी कर्मचारी कल्याण

- '2005 से पूर्व की पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू किया जाएगा'
- गांव आधारित सरकारी कर्मचारी जैसे लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी को कम से कम एक प्रमोशन का अवसर दिया जाएगा।
- 'कैशलैस ट्रीटमेंट' सरकारी कर्मचारियों को एसजीपीजीआई एवं अन्य सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था की जाएगी।
- 'आउटसोर्सिंग युक्तिसंगत और सेवा नियमावली' आउटसोर्सिंग को युक्तिसंगत और सर्विस रूल के तहत लाया जाएगा ताकि किसी भी कर्मचारी का शोषण ना हो सके। साथ ही आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी।
- गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 5000 रुपए की वृद्धि की जाएगी।
- सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु सिस्टम विकसित किया जाएगा।
- सभी विभागों में प्रमोशन को अप टू डेट किया जाएगा।
- अनुशासनात्मक जांच को 6 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।
- सरकारी कर्मचारियों के **सर्विस रूल** की समीक्षा की जाएगी।



अधिवक्ता एवं सैन्य कर्मी



अधिवक्ता

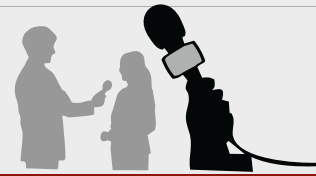
- युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- बड़े शहरों में अधिवक्ताओं के लिए ग्रुप हाउसिंग की व्यवस्था की जाएगी।
- नवगठित तहसील एवं न्यायालय परिसरों में अधिवक्ता चैंबर की स्थापना की जाएगी।
- दुर्घटना एवं आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में अधिवक्ताओं के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

रक्षा बल एवं कर्मी

- देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे सैनिकों के परिवारों एवं उनकी जमीनों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी
- सैनिक कल्याण बोर्डों को सुदृढ़ किया जाएगा।
- रिटायर्ड आर्मी जवानों एवं अधिकारियों को लेकर '**टाइगर/वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन**' फोर्स गठित की जाएगी।
- समाजवादी सरकार '**शहीद पेंशन**' लागू करेगी।
- शहीदों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
- पूर्व सैनिकों के लिए सभी जिलास्तरीय अनुमतियों में वरीयता दी जाएगी।
- पूर्व सैनिकों की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी शुल्क से मुक्त किया जाएगा।



मीडिया



- मीडिया कर्मियों और जमीनी स्तर के पत्रकारों के कल्याण के लिए राज्य आधारित **'मीडिया पॉलिसी'** लाई जाएगी।
- स्थानीय मीडिया कर्मियों को डिजिटल एवं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए सभी तहसील कस्बों में **'मीडिया सुविधा केंद्र'** बनाए जाएंगे।
- 'क्षेत्रीय मीडिया हब'** मीडिया सेक्टर में संगठित रोजगार सृजन के लिए विकसित किए जाएंगे।



समाजवाद का पथ, परिवर्तन का पर्व
सत्य प्रत्येक वचन, उत्तर प्रदेश हमारा गर्व







समाजवादी विचारधारा

हमारी पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है इसके जरिए हम सभी के लिए अवसर की समानता एवं समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम एक ऐसा नीतिगत वातावरण बनाना चाहते हैं जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्ग बिना किसी भेदभाव के समृद्ध हों। हम महिलाओं और युवाओं के विकास के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध हैं। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां गरीबी और भूख मिटाई जा सके और सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की असमानताओं को कम किया जा सके। हम राज्य को आर्थिक विकास के सतत पथ पर ले जाना चाहते हैं। हम लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। सुशासन हमारा आदर्श वाक्य है। समाजवादी पार्टी मानव संसाधन के विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देती है। हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि किसान देश के प्रत्येक नागरिक का पेट भरते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हम किसानों के जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने और प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि लाने के लिए उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां सार्वजनिक सेवाओं को प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचाया जाय और सभी की भागीदारी के माध्यम से एक जीवंत और ऊर्जावान वातावरण तैयार किया जा सके। जिससे समाज के सभी वर्गों में तरक्की और खुशहाली आ सके।

1. लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस एशिया का सबसे लम्बा एक्सप्रेस वे जो मात्र 24 महीनों में तैयार किया गया उत्कृष्ट गुणवत्ता का एक्सप्रेस-वे जिससे दिल्ली लखनऊ की दूरी अब केवल 6 घण्टों में पूरी की जा सकती है। वायु सेना के सुखोई विमान इसमें लैंड कर सकते हैं। किसानों की उपज अब सीधे बाजारों में पहुँच सकती है। और उनकी आय में वृद्धि होगी। सम्पूर्ण क्षेत्र का आर्थिक विकास इससे सम्भव होगा।

2. लखनऊ मेट्रो

मात्र दो वर्षों में लखनऊ को मेट्रो की सौगात दी। कानपुर मेट्रो का निर्माण प्रारम्भ किया और आगरा मेट्रो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।

3. डॉयल-100

विश्व की सबसे बड़ी तकनीक आधारित सुरक्षा सेवा डॉयल-100 विकसित किया, जिससे 15 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। और अपराध नियन्त्रण में इससे व्यापक सुधार हुआ।

4. कैंसर अस्पताल व निजी क्षेत्र में मेदांता

लखनऊ में कैंसर अस्पताल एवं निजी क्षेत्र के मेदांता अस्पताल की स्थापना की, जिससे उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवायें नागरिकों को उपलब्ध हुई।

5. इकाना स्टेडियम

अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में निर्मित हुआ जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच खेले जा सकेंगे, जिससे खेल व खिलाड़ी को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक स्पोर्ट काम्पेल्क्स निर्मित होने की परिकल्पना की।

6. नवीन हाईकोर्ट

नवीन हाईकोर्ट, प्रदेश सचिवालय व पुलिस मुख्यालय का निर्माण कराया गया। यह सभी अत्याधुनिक व उत्कृष्ट स्तर की सुविधाओं से लैस है।



स



माजवादी विकास

7. जनेश्वर मिश्र पार्क

356 हेक्टेयर भूमि में आम जनमानस के लिए लखनऊ में अति रमणीक जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण कराया, जिसमें जनमानस के मनोरंजन की अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

8. गोमती रिवर फ्रंट

गोमती नदी के दोनों तरफ के तटबन्धों पर अति रमणीक गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है, जिसमें वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक व नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है।

9. अवध शिल्पग्राम की स्थापना

शिल्पकारों के उन्नयन हेतु अवध शिल्पग्राम की स्थापना की गयी, जिससे शिल्पकारों के कला को निखारने एवं प्रदर्शित करने का अवसर दिया और उनके आर्थिक लाभ की व्यवस्था भी की।

10. जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर की स्थापना

खेल और मनोरंजन की सुविधाओं से युक्त जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर की स्थापना की गयी।

11. विद्युत उपलब्धता में वृद्धि

10999 मेगावॉट अतिरिक्त विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी जिससे विद्युत उपलब्धता दोगुनी से भी अधिक हो गयी। 56 मिलियन युनिट प्रतिदिन से 100 मिलियन युनिट प्रतिदिन विद्युत उत्पादन में वृद्धि की गयी। स्वतन्त्रता के बाद पहली बार व्यापक

पैमाने पर नये ट्रान्समिशन के सबस्टेशन बनाये गये और नयी ट्रान्समिशन लाइनों की व्यवस्था की गयी। विद्युत उपलब्धता बढ़ाकर शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे व ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे सुनिश्चित की गयी।

12. जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़क से जोड़ना

5 साल के कार्यकाल में 60 जिलों को 4 लेन सड़क से जोड़ा गया और बाकी 15 जिलों में भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया, जिससे पूरे प्रदेश में बेहतर सड़क व्यवस्था का जाल बिछा।

13. सिंचाई के लिए मुफ्त पानी की व्यवस्था

पूरे प्रदेश में किसानों की बेहतर सुविधा के लिए सिंचाई के पानी को मुफ्त उपलब्ध कराया गया।

14. किसानों को अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध करायी

सरकार ने किसानों को सब्सिडी के बीज की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तान्तरित करायी जिससे किसानों को उसका लाभ मिला। सही समय पर बीज व उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया। पूरे प्रदेश में नवीन मण्डी स्थल विकसित किये गये।

15. डॉयल-108 एवं डॉयल-102 एम्बुलेन्स सेवा

पूरे प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉयल-108 के अन्तर्गत एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध करायी गयी। प्रदेश के किसी भी कोने में 20 मिनट के अन्दर एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध करायी गयी। इसी प्रकार महिलाओं के लिये डॉयल-102 एम्बुलेन्स सेवा का भी क्रियान्वयन किया गया।

16. समाजवादी पेंशन योजना

6000 से 9000 रुपया वार्षिक धनराशि गरीब परिवारों के महिला सदस्य को प्रत्येक माह के पहले दिन उनके खाते में उपलब्ध करायी गयी। यह गरीब परिवारों के लिए सामाजिक कवच की विशिष्ट योजना थी।

17. कन्या विद्याधन योजना

बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु 30000 रुपया की कन्या विद्याधन योजना लागू की गयी और उनकी शिक्षा में सहयोग के लिए साइकिल की व्यवस्था की गयी।

18. लैपटॉप वितरण योजना

बालक एवं बालिकाओं को बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर लैपटॉप की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी, जिससे डिजिटल साक्षरता गांव-गांव तक पहुंची और उनको अपने कैरियर में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।



19. लोहिया ग्राम विकास योजना

दस हजार लोहिया ग्राम विकसित किये गये जिनमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे पक्की सड़क, विद्युत उपलब्धता, स्वच्छ जल की व्यवस्था, स्कूल व स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी।

20. लोहिया आवास योजना

सवा तीन लाख रुपया प्रति आवास की दर से अच्छी गुणवत्ता के एक लाख लोहिया आवास गरीबों के लिए विकसित किये गये।

21. कामधेनु डेयरी योजना

प्रदश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु डेयरी योजना लागू की गयी जिससे गौवंश का नस्ल सुधार हुआ, दुग्ध उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुयी और किसान की आय में व्यापक बढ़ोतरी हुयी।

22. कुक्कुट पालन योजना

किसानों को अतिरिक्त आय के स्रोत उपलब्ध कराने में कुक्कुट पालन योजना लागू की गयी।

23. मेडिकल कॉलेजों की स्थापना -

मेडिकल कॉलेजों को 7 से बढ़ाकर 17 की स्थिति में लाया गया जिसमें डॉक्टरों की उपलब्धता के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी गयीं। प्रदेश में एक दर्जन अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना बनायी गयी।

24. कुपोषण के विरुद्ध अभियान -

कुपोषण से प्रदेश के बच्चों एवं महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए प्रदेश में दनजतपजपवद उपेपवद स्थापित किया गया। कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं के लिए हौसला योजना के अन्तर्गत पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया।

25. डॉयल-1090 योजना -

महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए डॉयल 1090 योजना लागू की गयी जिससे मोबाइल के माध्यम से महिलाओं को उत्पीड़ित न कर सके।

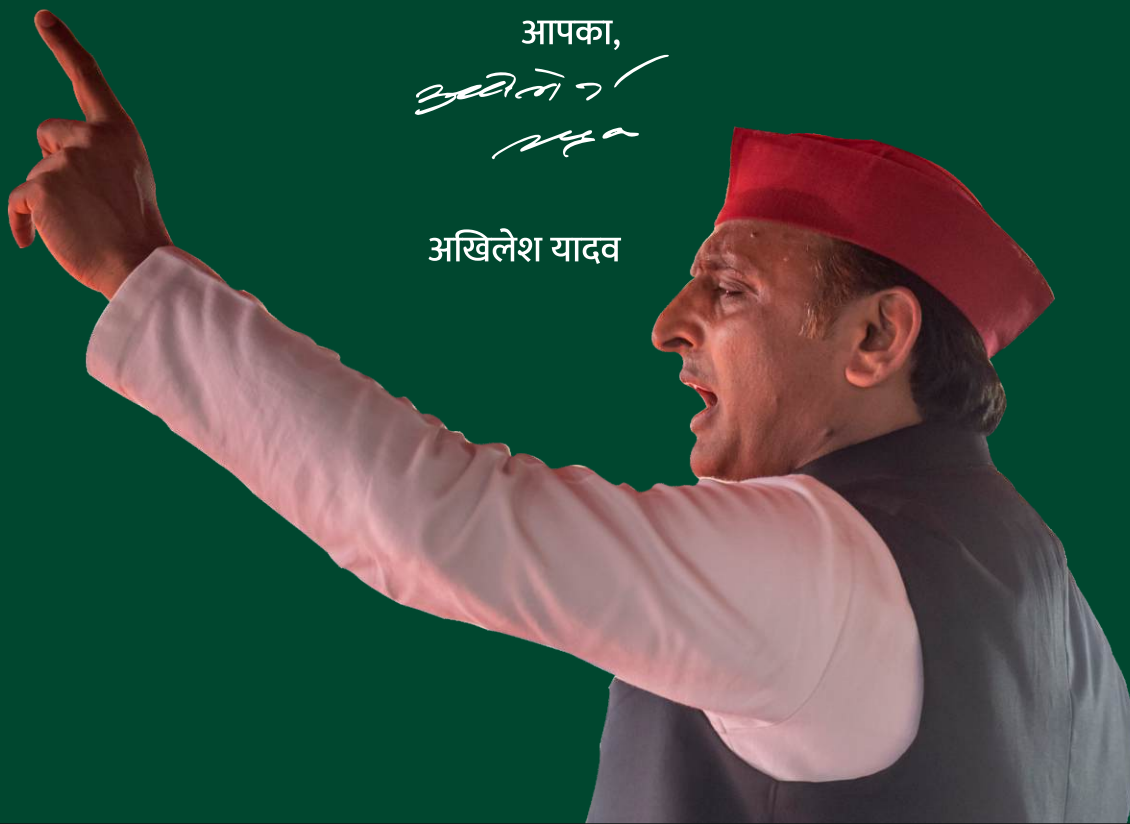


- उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर देख रहा है, समाजवाद के रास्ते नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ बढ़ने की नींव है ये समाजवादी वचन पत्र। आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी, जनेश्वर जी और नेता जी के मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए हम कृतसंकल्पित हैं एक नया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए।
- हम दृढ़संकल्पित हैं वचन पत्र को पूर्ण कर उत्तर प्रदेश को देश में अग्रणी बनाने के लिए।

आपका,

अखिलेश

अखिलेश यादव



**हर वर्ग का उत्थान हो, हर जन बने सबल
हर शब्द करेंगे सत्य, हर वचन पर अटल**



www.samajwadiparty.in